प्रवेशांक

नगर निगम कानपुर की पत्रिका

वर्ष 1 ■ अंक 1 (अक्टूबर 2020)

नगर मंजूषा

नगर निगम कानपुर

नगर मंजूषा

नगर निगम कानपुर की मासिक पत्रिका

–:प्रकाशकः–

जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम कानपुर

–:सम्पादकः–

नीरज पटेल, कर निर्धारण अधिकारी

नगर निगम, कानपुर

नोट :– पत्रिका में प्रकाशित लेख सामान्य सूचनाओं पर आधारित हैं जो जन जागरूकता के उददेश्य से तैयार किये गये हैं।

नगर निगम कानपुर

मुद्रक – नगर निगम प्रेस, मोतीझील नगर निगम कानपुर

प्रमिला पाण्डेय
महापौर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
यू.पी. मेयर काउंसिल

दूरभाषः
सी.यू.जी. : 8601801010
आवास : 9415044433
कैम्प कार्या0, फैक्स : 2549680
कैम्प कार्या0 :– नगर निगम गेस्ट हाउस
निवासः– 8/2, एफ0एम0 कालोनी
सिविल लाईन्स, कानपुर

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि नगर निगम कानपुर द्वारा अपनी गतिविधियों एवं जन सेवाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाने तथा जनकांक्षाओं के अनुरूप नगर निगम को संवारने के दृष्टिगत एक पत्रिका ''नगर मंजूषा'' का प्रकाशन किया जा रहा है।

आशा है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से नगर निगम और आम जनमानस के बीच की दूरी को कम करने में मदद मिलेगी, नगर निगम की कार्य प्रणाली बेहतर होगी तथा नगर निगम की आम जनमानस तक प्रभावी पहुँच होगी।

(प्रमिला पाण्डेय)

mayor.kanpur-up@gov.in @mayorkanpur /mayorkanpur

अक्षय त्रिपाठी
आई.ए.एस.

नगर आयुक्त

दूरभाष :
कार्यालय : 2541258
फैक्स : 2525554
आवास : 2531215
फैक्स : 2531662
सी.यू.जी. : 8601811111
ई-मेल : mckanpur@yahoo.com
कानपुर नगर निगम, कानपुर

शुभकामना सन्देश

उत्तर प्रदेश सरकार की कई लाभकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुँचाने, नगर वासियों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने, स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिगत पार्को का विकास एवं घर–घर से कूड़े का पृथक्कीकरण कर उसके उठान तथा ढककर कूड़े को निस्तारण हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेंन्ट प्लान्ट पहुँचाते हुये उसके समुचित एवं गुणवत्तापरक् निस्तारण हेतु कानपुर नगर निगम कटिबद्व एवं दृढ़ संकल्पित है, जिस हेतु नगर निगम कानपुर द्वारा अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है, परन्तु आम जनमानस में नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही मूलभूत सुविधाओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं की अपेक्षित जानकारी न होने के कारण जहाँ एक तरफ आम जनमानस उक्त समस्त लाभों से वंचित होता है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की आम जनमानस के प्रति कटिबद्वता भी प्रभावित होती है एवं नगर निगम की छवि धूमिल होती है।

उपरोक्त समस्त पर नगर निगम के विभिन्न अधिकारीगणों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त यह अनुभूति की गयी कि नगर निगम द्वारा आम जनमानस को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं एवं उत्तर प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाये जाने हेतु एक पत्रिका प्रकाशित करायी जाये। तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी स्तर से सम्पादक मण्डल का गठन करते हुये पत्रिका प्रकाशित करने का निश्चय किया गया।

सम्पादक मण्डल द्वारा कानपुर नगर निगम की प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका "नगर मंजूषा" का दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशन/विमोचन प्रस्तावित होना निश्चित रुप से कानपुर नगर निगम की एक उपलब्धि स्वरुप होगा तथा नगर निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी दृष्टिगोचर होगी। साथ ही नगर वासियों को नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं , अधिकारियों/कर्मचारियों में सृजनात्मकता व नवोन्मेषी विचारो तथा कानपुर नगर निगम में हो रहे सकारात्मक बदलावों एवं वास्तविक स्वरुप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त पत्रिका निश्चित रुप से आवश्यक एवं लाभाकारी सिद्व होगी। मै उपरोक्त पत्रिका के नियमित एवं सफल प्रकाशन एवं अपने उद्देश्यो को पाने में सफल रहने की आशा रखता हूँ तथा प्रकाशन के इस अवसर पर पत्रिका में प्रकाशित लेखो के लेखकगण, सम्पादक मण्डल एवं नगर निगम के विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ साथ सम्मानित कानपुर नगरवासियों को बधाई एवं शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित.........

सम्पादक मण्डल
कानपुर नगर निगम
मोतीझील, कानपुर

(अक्षय त्रिपाठी)
नगर आयुक्त

संपादक की कलम से –

कानपुर एक औधोगिक नगर माना जाता है जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक एंव सास्कृतिक विरासत रही है। वर्तमान में ''कूड़ा'' एवं ''प्रदूषण'' कानपुर की प्रमुख समस्या के रुप में दिखायी पड़ती है, जिसे समाप्त किये जाने के लिए नगर निगम कानपुर अपनी जुझारु, परिश्रम व समर्पित महापौर एंव नवोन्मेशी नगर आयुक्त के नेतृत्व मे दृढ़संकल्पित है। नगर निगम कानपुर द्वारा किये जा रहे उक्त समस्याओं के बेहतर 'प्रबन्धन'; नगर निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी आमजनमानस तक पहुँचाने; आम जनमानस को नगर निगम से जोडने; नगर निगम द्वारा दी जा रही जनसुविधाओं/सेवाओं की जानकारी आम जनमानस तक सरल, सटीक एंव स्वाभाविक तौर से उपलब्ध कराने; नगर निगम द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो में जन–सहभागिता सुनिश्चित करने; नगर निगम के सभी विभागों में आपसी समन्वय एंव सहयोग बढ़ाने तथा उन्हे सचेत रखने; निगम अधिकारियों/कर्मचारियों में सृजनात्मकता व नवोन्मेशी विचारों को बढ़ावा देने; निगम द्वारा आमजनमानस से की जाने वाली अपेक्षाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने; कानपुर नगर की विरासत को सहेजने, संरक्षित करने व बढ़ावा देने तथा कानपुर नगर मे हो रहे सकरात्मक बदलावों को बढ़ावा देने व नकारात्मक बदलावो के प्रति आम जनमानस को सचेत करने के लिए नगर निगम के पास कोई प्रभावी माध्यम न होनें से नगर निगम की वास्तविक छवि लोगों तक पहुँचाना एक चुनौती थी। इसके अलावा, वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में कानपुर नगर निगम ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी है। महापौर जी ने प्रधानमंत्री जी के **"गन्दगी भारत छोड़ो अभियान"** की तर्ज पर **"कूडा कानपुर छोड़ो अभियान"** शुरु किया है जो काफी सफल रहा है। साथ ही, हरित कानपुर के तहत नगर निगम द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयोग एंव नामान्तरण, कर निर्धारण, जल संयोजन/ सीवर संयोजन की जानकारी आमजनमानस तक पहुँचाना अति आवश्यक एंव लाभकारी है। उक्त समस्त तथ्यो को नगर निगम की पत्रिका **"नगर मंजूषा"** में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है।

आशा है, इस पत्रिका के नियमित प्रकाशन से नगर निगम कानपुर की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयेगी, साथ ही आमजनमानस से दूरी भी कम होगी और नगर निगम अपना बेहतर स्थान पानें में सफल होगा। यह पत्रिका माननीय महापौर जी की प्रेरणा एंव आदरणीय नगर आयुक्त जी की सोच का परिमाण है। पत्रिका में यदि कुछ अच्छा है तो इसके लिए पत्रिका के लेखों के लेखकगण धन्यवाद के पात्र हैं। पत्रिका में रह गई त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पत्रिका में सुधार के लिए आप स्नेही पाठकों के सुझावों का सहदय सदैव स्वागत है।

दिनांक – 29.09.2020
जनसम्पर्क विभाग

29.9.20

(नीरज पटेल)
कर निर्धारण अधिकारी

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021

कानपुर नगर निगम

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

- आपका शहर कानपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रतिभाग कर रहा है।
- घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तीन रंग के (हरे नीले एवं काले रंग) डस्टबिन रखेंगे। हरे रंग के डस्टबिन में गीला कूड़ा (जैसे बचा हुआ भोजन, फल, सब्जियों के छिलके, फूल इत्यादि) नीले रंग के डस्टबिन में सूखा कूड़ा (जैसे पेपर, काँच, लोहा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम इत्यादि) एवं काले रंग के डस्टबिन में खतरनाक अपशिष्ट (जैसे पेंट ड्रम, सीएफएल, बल्ब, दवाई के पैकेट, बोतलें इत्यादि) रखेंगे तथा डोर टू डोर कूड़ा नगर निगम कानपुर द्वारा अधिकृत एजेन्सी **J.T.N. Services Pvt. Ltd., Kanpur** के कर्मचारियों (लोगों) को ही देंगे। एजेन्सी से सम्पर्क सूत्र- (8601003008, 860100299)।
- घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कम्पोस्टिंग करना अनिवार्य है, होम कम्पोस्टिंग की अधिक जानकारी के लिए http://youtu.be/Ja4cKXy3K3Q लिंक पर जाकर वीडियो देखें।
- कूड़ा फेकने और आग जलाने की शिकायत टोल फ्री नं.-18001805159 एवं शिकायत प्रकोष्ठ (कन्ट्रोल रूम) नं0-0512-2526004, 2526005 में करेंगे।
- स्वच्छता से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर देते हुए अपने शहर को स्वच्छता रैकिंग में 1 (एक) नम्बर पर लाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

महापौर
नगर निगम कानपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	नगर निगम कानपुर की जंग- कोरोना के संग - डा. अमित सिंह गौर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी	01 – 02
2.	कूड़ा कानपुर छोड़ो अभियान - जनता सौगंध - डॉ अजय कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी	03
3.	हरित कानपुर के लिए नगर निगम के अभिनव प्रयास-मियावाकी पद्धति से वनीकरण - डा० वी० के० सिंह, उद्यान अधीक्षक	04 – 06
4.	आत्मनिर्भर भारत- पी० एम० स्वनिधि योजना - पूजा त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त	07 – 08
5.	नगर निगम की कर निर्धारण सूची में नामान्तरण (दाखिल खारिज) - निर्धारित प्रक्रिया - अमरजीत यादव, कर अधीक्षक	09 – 10
6.	स्वकर निर्धारण - अपना गृहकर व अन्यकर स्वयं कैसे निर्धारित करें? - प्रदीप तिवारी, कर अधीक्षक	11 – 12
7.	जन्म-मृत्यु पंजीकरण- निर्धारित प्रक्रिया - डॉ अजय कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी	13
8.	जलसंयोजन/सीवर क्लेक्शन-निर्धारित प्रक्रिया।	14
9.	नगर निगम के स्वच्छता सेनानी - पूजा त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त	15 – 16
10.	नगर निगम अधिनियम के अर्न्तगत सामान्य जन की सेवाओं से संबधित विधिक प्रवाधान -कृष्ण कुमार, एडवोकेट, विधिपरामर्षी, नगर निगम कानपुर	17 – 18
11.	समाचार पत्रों की नजर में कानपुर नगर निगम	19 – 24
12.	अतिमहत्वपूर्ण आधिकारियों के कार्यालय/आवासीय दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर	25 – 26

—o—

नगर निगम कानपुर की जंग - कोरोना के संग

डॉ अमित सिंह गौर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी

वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में नगर निगम कानपुर ने लाकडाऊन एवं अनलाक दोनो ही परिस्थतियों में अपनी सीमाओं से इतर जा कर भी अपनी भूमिका निभाई। नगर निगम द्वारा एक तरफ जहां अपनी पारम्पारिक जिम्मेदारियों यथा–साफ–सफाई, सेनिटाइजेशन, एवं फागिंग द्वारा कोरोना के फैलाव को रोकने का प्रयास किया गया वहीं दूसरी तरफ, राशन कार्ड आवेदकों के सत्यापन, मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना का कियान्वयन, पीएमस्वनिधि का संचालन इत्यादि के द्वारा लाकडाऊन से प्रभावित गरीबों एवं छोटे पटरी दुकानदारों की खाद्य सुरक्षा एवं अर्थिक स्वालंबन सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है।

24 मार्च 2020 के बाद जब लाकडाऊन के कारण सभी लोग अपने घरों में दुबके थे, नगर निगम कानपुर द्वारा नगर के सभी 110 वार्डो में पारम्परिक साफ–सफाई के अलावा विशेष सघन साफ–सफाई एवं नाला–सफाई का कार्य पूरे शहर के सभी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। जिसके परिमाणस्वरूप पूरा शहर न केवल स्वच्छ हुआ बल्कि शहार के 274 बड़े नालों एवं 1152 छोटे नालों की तलीझाड़ सफाई करायी गयी। उक्त के अतिरिक्त, वार्ड स्तरीय स्वच्छता समितियों के द्वारा वार्डो में कोरोना के संदिग्धों को चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है। समन्वित कोविड कन्ट्रोल केन्द्र (ICCC) का संचालन कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करते हुये जिला स्तर पर कोरोना से बचाव, इलाज तथा प्रबन्धन में अपनी भूमिका का निवर्हन किया जा रहा है। टेलीमेडिसीन सेवा द्वारा लाकडाऊन की परिस्थितियों में लगभग 1500 से अधिक कोरोना प्रभावित एवं कोरोना से भयभीत लोगों को समुचित चिकित्सीय परामर्श टेलीफोन कॉल, ह्वॉट्सऐप व वीडियो कालिंग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुये उन्हें लाकडाऊन की परिस्थितियों से लड़ने हेतु सशक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, नगर निगम द्वारा हाटस्पाट क्षेत्रों व सभी वार्ड़ो के लिए सेनीटाइजेशन एवं फागिंग टीमों का गठन कर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में सेनिटाइजेशन एवं फागिंग करायी जा रही है। उक्त प्रयासों से कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिली, साथ ही जलभराव के मामलों में कमी आयी और डेंगू का प्रकोप भी कम हुआ।

लाकडाऊन की परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक स्वावलंबन की प्राप्ति के लिए जहां हजारों राशन कार्ड का सत्यापन कर आपूर्ति विभाग को उपलब्ध कराया गया, लगभग 5,000 से अधिक राशन किटों का वितरण कराया गया, वही मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर के लगभग 47,000 से अधिक परिवारों का चयन करके उनको रू0 1000.00 की राजकीय सहायता उनके खातों में पहुँचायी गयी। इसीप्रकार, पीएमस्वनिधि योजना के अन्तर्गत 30,000 से अधिक पटरी दुकानदारों (स्ट्रीट वेन्डर्स) का पंजीकरण कर उन्हें रू0 10,000.00 तक का ऋण नाम मात्र की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नगर निगम कानपुर ने कोरोना के प्रसार को रोकने, लाकडाऊन की परिस्थितियों मे खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करनें तथा अनलाक की परिस्थितियों में आर्थिक स्वावलंवन प्रदान करनें में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभायी और वर्तमान में भी निभा रहा है।

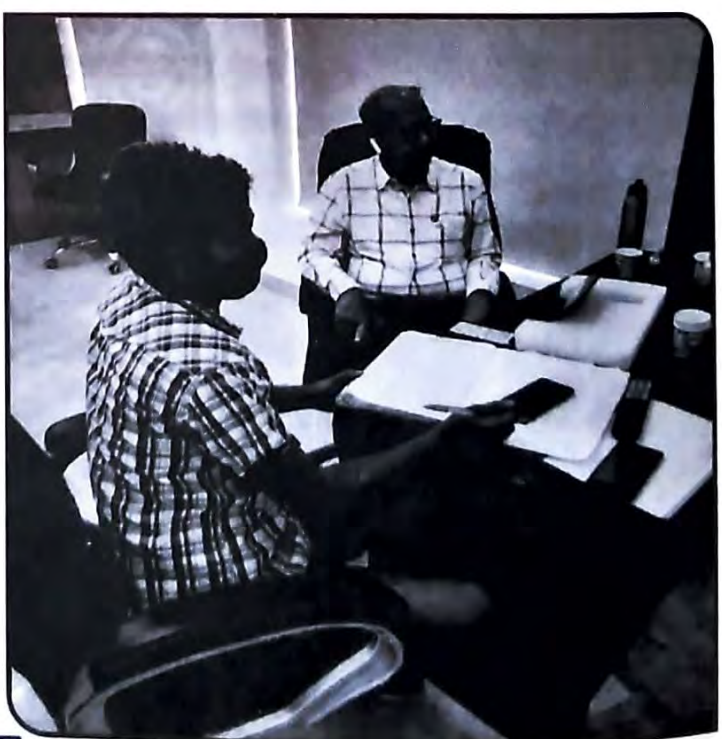

कूड़ा कानपुर छोड़ो अभियान-जनता सौगंध

डॉ अजय कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी

"कूड़ा कानपुर छोड़ो अभियान" कानपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती प्रमिला पाण्डेय जी द्वारा 15 अगस्त 2020 को घोषित किया गया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 9 अगस्त 2020 को **"गन्दगी भारत छोडो अभियान"** की तर्ज पर शुरू किया गया है। इस अभियान में जनता द्वारा साफ–सफाई करनें व सफाई श्रमदान की शपथ दिलायी जाती है, जिसे जनता सौगंध कहते हैं।

कूड़ा कानपुर छोड़ो अभियान के तहत कानपुर नगर निगम के सभी 110 वार्डो में स्थानीय वार्ड पार्षद एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्ड की सबसे गन्दी जगहों, गलियों एवं स्थानों पर ठीक 11:00 बजे प्रातः 11:00 मिनट तक साफ–सफाई की जाती है, साथ ही गन्दगी करनें वाले नागरिको के घर के सामने डुगडुगी भी बजायी जाती है, उन्हें चेतावनी भी दी जाती है, जिससे वे साफ–सफाई के प्रति जागरूक होते हैं।

इस कार्यक्रम से न केवल वार्डो में साफ–सफाई को बढ़ावा दिया जाता है बल्कि गन्दगी न करने के प्रति लोगें को जागरूक भी किया जाता है।

नगर निगम कानपुर के उक्त कार्यक्रम की चहुँओर प्रशंसा हो रही है, मा0 मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी अदित्यनाथ जी द्वारा भी उक्त कार्यक्रम की प्रशंसा किया जाना उल्लेखनीय है।

—o—

हरित कानपुर के लिए नगर निगम के अभिनव प्रयास - मियावाकी पद्धति से वनीकरण

डा0 वी0 के0 सिंह, उद्यान अधीक्षक

कानपुर नगर निगम विगत कई वर्षो से परम्परागत विधि से शहर के विभिन्न पार्को, हरित पट्टिकाओं, फुटपाथ एवं डिवाइडरो तथा अन्य स्थल पर वृहद वृक्षारोपण कराते हुये शहर के प्रदूषण को नियन्त्रित करने का प्रयास करता रहा है। कानपुर नगर निगम द्वारा वर्तमान वृक्षारोपण वर्ष–2020 मे **मियावाकी पद्धति** का समावेश कर शहर के अन्दर प्रदूषित स्थलो के आस–पास वनीकरण कर प्राकृतिक ऑक्सीजन टैंक का निर्माण किये जाने का अभिनव प्रयोग किया गया। ऐसे स्थल जहॉ गाड़ियों से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक मात्रा मे उत्सर्जित होती है, नालो एवं मलिन बस्तियों के किनारे जहॉ वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण आम हैं तथा कानपुर नगर जो औद्योगिक नगरी के नाम से भी पहचान रखता है, के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियन्त्रण के लिये वनीकरण हेतु स्थल का चयन प्राथमिकता से किया गया। शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु स्थल की कमी एवं घनी आबादी/औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक ऑक्सीजन टैंक का निर्माण कर प्रदूषित वातावरण को नियंत्रित करने के मुख्य उद्देश्य से वर्तमान वर्षा ऋतु में मियावाकी पद्धति से शहरी वनीकरण का समावेश कानपुर नगर निगम द्वारा प्रथम बार किया गया।

मियावाकी पद्धति का संक्षिप्त विवरण

मियावाकी पद्धति वनीकरण की एक जापानी पद्धति है। इस पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस तकनीकी के द्वारा रोपित पौधो की वृद्धि दर सामान्य पौधों की वृद्धि दर से 10 गुना अधिक होती है। साथ ही साथ, इस तकनीकी द्वारा तैयार जंगल आम जंगल से 30 गुना ज्यादा घना होता है। जंगल को पारम्परिक विधि से तैयार होने में लगभग 200 से 300 वर्ष का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से 20 से 30 वर्ष मे ही जंगल को तैयार किया जा सकता है। मियावाकी पद्धति से जंगल तैयार करते समय स्थानीय पारिस्थितिक तन्त्र के अनुकूल देशी प्रजातियों का रोपण किया जाता है। साथ ही साथ, इस तकनीकी से तैयार जंगल के अनुरक्षण की आवश्यकता कम होती है एवं रोग, कीट आदि का प्रकोप भी कम होता है। देशी प्रजाति के पौधे विभिन्न प्रकार के पंक्षियों, तितलियों एवं जीव जन्तुओं को आकर्षित करते हैं तथा भोजन प्रदान करते है।

शहरी क्षेत्रों में मियावाकी पद्धति से तैयार वनीकरण के लाभ

- देश एवं प्रदेश के हरित घनत्व को बढ़ाने मे सहायक।
- वायु एवं जल को शुद्ध करते हुये प्रदूषण को नियन्त्रित करना।
- ऊर्जा का संरक्षण करना।
- जीव–जन्तुओं को प्राकृतिक आवास एवं भोजन प्रदान करना।
- ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करना।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को लाभान्वित करना।

मियावाकी पद्धति से स्थल की तैयारी

मियावाकी पद्धति मे स्थल को 1 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद मिट्टी मे चार तरह की परत का निर्माण किया जाता है :–

1. **Water retainer** – इससे मिट्टी मे नमी बनी रहती है। इसके लिए कोको पिट, गन्ने की खोई, आवश्यक होता है।
2. **Perforator** - यह जड़ को जल्दी बढ़ाने मे सहायक होता है, यह चावल, गेहू एवं मक्का की भूसी से तैयार होता है।
3. **Organic Manure**– गाय का गोबर या वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग होता है, जो पौधो को वांछित पोषक तत्व प्रदान करता है।
4. **Mulching** - यह सूर्य की रोशनी को मिट्टी पर सीधे आने से रोकता है, जिससे मिट्टी की उत्पादकता एवं नमी का क्षरण नही होता है।

रोपित किये जाने वाली प्रजातियों का विवरण

मियावाकी पद्धति में प्रति वर्ग0मी0 मे 3 से 5 पौधो का रोपण किया जाता है। रोपित किये जाने वाले पौधो की ऊँचाई 60 से 80 सेमी0 होनी चाहिये। मुख्यतः रोपण हेतु उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते है। स्थानीय प्रजातियों के 40–50 प्रतिशत पौधे रोपित किये जाने चाहिए। उसके बाद सामान्य नेटिव प्रजातियों के 25–40 प्रतिशत पौधे एवं शेष माइनर नेटिव प्रजातियों का चयन होना चाहिए। जिसमे पारस पीपल, जामुन, मौलश्री, अर्जुन, पिलखन, शीशम, गोल्डमोहर, कैजुरिना, सुखचैन, गूलर, आम, अशोक, अमरूद, नींबू, किन्नो, फाइकस, टिकोमा, चम्पा, कलेण्ड्रा, बॉटल ब्रश, जैट्रोफा, बांस, कनैर, आड़ू, नाशपाति, शहतूत, करौंदा, मेहंदी, तुलसी आदि प्रजातियो का रोपण किया जाता है। कानपुर नगर निगम द्वारा वर्षा ऋतु–2020 मे मियावाकी पद्धति से कराये गये क्षारोपण का विवरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	स्थल का नाम	रोपित किये गये पौधो की संख्या
1	शनैश्वर मन्दिर स्थित हरित पट्टिका में	5400
2	ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क, विजय नगर	42000
3	अम्बेडकर पार्क, पनकी	39000
4	जागेश्वर अस्पताल परिसर में	14000
	योग–	100400

यहां यह भी उल्लिखित करना है कि प्रदेश मे एक पौधरोपण वर्ष मे मियावाकी पद्धति से इतने पौधो का रोपण अभी तक किसी भी शहर मे नही किया गया है। कानपुर नगर निगम के लिये प्रदेश मे यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह हरित कानपुर बनानें में नगर निगम कानपुर का महत्वपूर्ण योगदान भी है।

—o—

आत्मनिर्भर भारत-पी0 एम0 स्वनिधि योजना

– पूजा त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त

पी0एम0 स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत की कडी में नगरीय पथ विक्रेताओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक महत्वाकांक्षी योजना है,जिसमें नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों में पटरी दुकानदारों के रूप में व्यवसाय कर रहे लोगों को आसान शर्तो पर रू0 10000.00 तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

भारत में पथ विक्रेता,रेहडी,पटरी या फेरी वाले असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है,जो न सिर्फ स्थानीय लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति करते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

पथ विक्रेता सामान्यतः अल्प पूंजी के साथ अपना व्यवसाय करते हैं,जो जीवन निर्वाह के लिये अपनी दैनिक आय पर आश्रित होते हैं,किन्तु कोरोना काल की अभूतपूर्व विषम परिस्थितियों में देशव्यापी लॉकडाउन ने इनकी आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। लॉकडाउन के दौरान थोडी बहुत संचित पूंजी जिससे ये अपना व्यवसाय चलाते थे,का भी दैनिक आवश्कताओं की पूर्ति में उपभोग कर लिया गया। अतः लॉकडाउन खुलने के बाद कार्यशील पूंजी का आभाव इन सबके लिये एक गंभीर समस्या थी।

इसी समस्या के समाधान के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा 01 जून 2020 से पी0एम0 स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया।

पी0 एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत– पथ विक्रेताओं की विस्तृत परिभाषा में नगरीय क्षेत्रों में विभिन्नवस्तुओं(यथा–सब्जी,फल,स्ट्रीटफूड,चाय,पकौडे,ब्रेड,अण्डे,वस्त्र,जूतेचप्पल,शिल्पसम्बन्धितसामान,किताबें,स्टेशनरी इत्यादि) तथा सेवाओं (यथा–नाई की दुकानें,टेलर,मोची,लॉण्ड्री इत्यादि) की आपूर्ति करने वाले पथ विक्रेता शामिल हैं। के रूप में पंजीकृत थे अथवा जिन्हें वेंडर पंजीकरण अभियान में चिन्हित कर नगर निगम द्वारा वेंडिग प्रमाण पत्र व

इस योजना के अन्तर्गत वे समस्त पथ विक्रेता पात्र हैं,जो नगर निगम में 24 मार्च 2020 से पूर्व पथ विक्रेता पहचान पत्र जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वेंडर पंजीकरण सर्वेक्षण में छूटे हुये वेंडर नगर निगम/टाउन वेंडिग कमेटी के सिफारिश पत्र(लेटर ऑफ रेकमेंडेशन–LOR) के आधार पर भी पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिये वेंडर के पास नगर निगम द्वारा जारी वेंडिग प्रमाण पत्र अथवा LOR,पासपोर्ट साइज फोटो,आधार कार्ड,मोबाइल नम्बर व बैंक पासबुक की छायाप्रति की आवश्यकता होती है।

योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिये अनुसूचित व्यवसायिक बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियां, माईक्रो वित्त संस्थायें इत्यादि सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदाता संस्थाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है,जो बिना किसी कोलेटरल/सिक्योरिटी के पथ विक्रेताओं को किसी बैंक की प्रचलित दरों अथवा आर0बी0आई0 व स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप रू0 10000.00 तक का ऋण उपलब्ध करायेगीं, जिसे ऋण प्राप्तकर्ता को 12 मासिक किश्तों में चुकाना होगा। समय से ऋण की किश्तें अदा करने पर 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा जिसे प्रत्येक तिमाही पर ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा क्लेम करने पर सीधे उसके बैंक एकाउन्ट में अन्तरित किया जायेगा। ऋण के पूर्व भुगतान की स्थिति में कोई जुर्माना नहीं लिया जायेगा तथा सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में लाभार्थी के बैंक एकाउण्ट में अन्तरित की जायेगी।

इस योजना का एक उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढावा देना भी है,जिसके अन्तर्गत डिजिटल लेनदेन पर आकर्षक प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गयी है। किसी पथ विक्रेता द्वारा प्रतिमाह 50 योग्य डिजिटल लेनदेन पर रू0 50.00 अगले 50 योग्य डिजिटल लेनदेन पर रू0 25.00 व अगले 100 योग्य डिजिटल लेनदेन पर रू0 25.00 के कैशबैक का प्रावधान किया गया है (यहां योग्य डिजिटल लेनदेन से अभिप्राय न्यूनतम रू0 25.00 के लेनदेन से है) अर्थात एक माह में यदि एक पथ विक्रेता द्वारा 200 योग्य डिजिटल लेनदेन किये जाते हैं तो उसे रू0 100.00 का कैशबैक प्राप्त होगा,इस प्रकार कोई ऋण प्राप्तकर्ता पथ विक्रेता डिजिटल लेनदेन बढा कर पूरे वर्ष में कुल रू 1200.00 का कैशबैक/प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्राप्त कर सकता है तथा समय से त्रण की किश्तें अदा कर 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ ले सकता है। ये प्रोत्साहन राशि व ब्याज सब्सिडी की धनराशि कुल देय ब्याज की धनराशि का 118 प्रतिशत होती है। अर्थात देय ब्याज से 18 प्रतिशत अधिक कैशबैक का लाभ ऋण प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

स्पष्ट है कि यह योजना नगरीय पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है परन्तु किसी भी योजना की सफलता उसके कुशल कियान्वयन व जनसहयोग से ही सम्भव होती है।

कानपुर नगर निगम में स्कीम के कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण हेतु गठित नगर स्तरीय समिति के अध्यक्ष अर्थात नगर आयुक्त महोदय के कुशल दिशा निर्देशन में यह योजना कियान्वित हो रही है। नगर के सभी 6 जोनों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार व कैम्प के आयोजन कर पथ विक्रेताओं के पंजीकरण व पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत आवेदन का कार्य कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में नगर के सम्मानित जन प्रतिनिधियों विशेषतः माननीय महापौर व पार्षदगण, व्यापार मण्डल, गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाओं इत्यादि का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है।

वेंडर पंजीकरण व त्रण आवेदन प्रक्रिया के उपरान्त नगर निगम के अतिरिक्त बैंकिग संस्थानों,शैक्षणिक संस्थानों ,गैर सरकारी संस्थाओं व डिजिटल पेमेन्ट एग्रीगेटर्स जैसे–पे–टी0एम0,गुगल–पे,फोन–पे व एन0पी0सी0आई0 जैसी संस्थाओं की भूमिका महत्तवपूर्ण होगी,जो स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल साक्षर बनाने व उनकी क्षमता संर्वद्वन करके उन्हें स्कीम का अधिकतम लाभ(कैशबैक इत्यादि) प्राप्त करने में सहायक होगें।

नगर निगम की कर निर्धारण सूची में नामान्तरण (दाखिल खारिज) - निर्धारित प्रक्रिया

- अमरजीत यादव , कर अधीक्षक

नगर निगम अभिलेख में भवन स्वामी के नामान्तरण जिसे सामान्य रूप में दाखिल खारिज के रूप में जाना जाता है। नगर निगम राजस्व विभाग की प्रमुख कार्यवाही है। वस्तुतः नामान्तरण कर निर्धारण सूची में अंकित भूमि/भवन के स्वामी/अध्यासी के दर्ज नाम को खारिज कर किसी विधिक स्वामी/अध्यासी के नाम को एक प्रकिया के अन्तर्गत दर्ज किये जाने की कार्यवाही है, जिससे सहजता से कर संग्रहण व नगर निगम परिक्षेत्र में भवनो/भूखण्डो के स्वामी/अध्यासी की एक कर निर्धारण सूची सृजित होती है।

नामान्तरण का कारणः– नामान्तरण कई कारणो से किया जाना आवश्यक होता है।

1. पहला भवन स्वामी की मृत्यु के कारण
2. पंजीकृत विक्रय विलेख/पंजीकृत दानपत्र/पंजीकृत वसीयत के कारण
3. पंजीकृत पारिवारिक समझौते अथवा माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित आदेश के कारण भवन का स्वामित्व किसी अन्य के पक्ष में हस्तानान्तरित होने के कारण।

नामान्तरण के लिये आवष्यक साक्ष्यः– दाखिल खारिज अथवा नामान्तरण के लिये आवश्यक साक्ष्य के रूप में जिन अभिलेखीय प्रमाण पत्रो की आवश्यकता होती है उसमें यदि विरासतन के आधार पर नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो उत्तराधिकारियो का प्रमाणिक पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, दर्ज भवन स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र व इस आशय का शपथ पत्र की सन्दर्भित भवन के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद नही है और आवेदकगण भवन पर निर्विवाद रूप से काबिज है के नोटरी शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पडता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मामलों में स्वामित्व प्रमाणित करने वाले पंजीकृत अभिलेख जैसे– पंजीकृत विक्रय विलेख/पंजीकृत दानपत्र/पंजीकृत वसीयत/पंजीकृत पारिवारिक समझौते अथवा माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित आदेश की प्रमाणित प्रति जिससे स्वामित्व परिवर्तित होता हो के साथ उपरोक्त वर्णित शपथ पत्र/अनापत्ति शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होता है। साथ ही प्रश्नगत भवन पर बकाया गृहकर, जलकर व सीवरकर की जमा रसीदो की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होती है।

नामान्तरण की प्रकियाः– वस्तुतः नामान्तरण आनलाइन/ऑफलाइन दोनो विधियो से उपरोक्त वर्णित साक्ष्यो/अभिलेखो को संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। प्राप्त आवेदन पत्र पर सक्षम अधिकारी/जोनल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को कार्यवाही हेतु आदेशित करने के उपरान्त क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा भवन के स्थलीय निरीक्षण आख्या इस आशय से प्रस्तुत की जाती है कि भवन की कब्जा दखल की स्थिति आवेदक के पक्ष मे निर्विवाद रूप से है अथवा नही है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त विरासत के आधार पर नामान्तरण होने की स्थिति में नगर निगम द्वारा निर्धारित नामान्तरण शुल्क, प्रकाशन शुल्क व शमन शुल्क (यथा विलम्बित) आवेदक द्वारा जमा कराया जाता है। (पंजीकृत विक्रय विलेख/पंजीकृत दानपत्र आदि द्वारा स्वामित्व परिवर्तित होने की स्थिति में नामान्तरण शुल्क विक्रय विलेख में अंकित भवन का मूल्य/बाजार मूल्य जो अधिक हो का 1 प्रतिशत जमा कराते हुए प्रकाशन शुल्क और शमन शुल्क यथा स्थिति जमा किया जाता है। तदोपरान्त नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 में विहित

प्राविधानो के अन्तर्गत सभी हितबद्व पक्ष को नोटिस (इश्तेहार नोटिस) प्राप्त करायी जाती है तथा उक्त नामान्तरण विषयक इश्तेहार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और सन्दर्भित भवन के हितबद्व पक्ष को निर्धारित अवधि (30 दिन) में आपत्ति होने पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो नामान्तरण विषयक कमेटी के सक्षम अधिकारी/जोनल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव संख्या से नामान्तरण की पुष्टि करते हुए उक्त प्रस्ताव को कार्यवृत्त पंजिका में प्रविष्टि करायी जाती है और नामान्तरण विषयक इन्टीमेशन निर्गत करते हुए कम्पयूटर में डिजिटल प्रविष्टि कराकर नामान्तरण के इन्टीमेशन की प्रति आवेदक को प्राप्त कराते हुए नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाती है।

नामान्तरण की प्रकिया में नगर निमम अधिनियम 1959 की धारा 213 की इश्तेहार नोटिस हितबद्व पक्ष को प्राप्त कराने अथवा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरान्त यदि 30 दिवस के अन्दर हितबद्व पक्ष द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाती है तो सन्दर्भित नामान्तरण विवादित हो जाता है और प्रकरण अर्धन्यायिक श्रेणी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी/जोनल अधिकारी द्वारा वादी/प्रतिवादी को सर्वसाधारण सूचना प्राप्त कराते हुए निर्धारित तिथि व समय पर उसके पक्ष को विधिवत अवसर प्रदान करते हुए सुना जाता है। तदोपरान्त वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो/अभिलेखो का विधिवत परीक्षण कर आवश्यक होने पर विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए नामान्तरण विषयक आवेदन पत्र पर निर्णय किया जाता है।

इस प्रकार नगर निगम द्वारा सामान्य कर संग्रहण के दृष्टिकोण से निर्मित की जाने वाली नामान्तरण/कर निर्धारण सूची जहां एक तरफ भवन पर भवन के स्वामी/अध्यासी की संतति (वारिसो) के उत्तराधिकार को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है वही पंजीकृत विक्रय विलेख आदि से प्रमाणित स्वामित्व के आधार पर कर निर्धारण सूची में स्वामित्व का परिवर्तन कर नये स्वामी के भवन पर अधिकार को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है और भवनो की सुनियोजित सूची तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, जिससे विगत, वर्तमान व भावी भवन का रिकार्ड भी सुरक्षित रखने मे मदद मिलती है।

—O—

स्वकर निर्धारण - अपना गृहकर व अन्यकर स्वयं कैसे निर्धारित करें?

- प्रदीप तिवारी, कर अधीक्षक

कर निर्धारण को जन सामान्य के लिए सरल करते हुए वर्ष–1999 में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा 174(1) में संशोधन कर आवासीय भवनों में भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल प्रति वर्गफुट प्रयोज्य न्यूनतम मासिक किराया दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना वार्षिक मूल्य निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गई। न्यूनतम किराये की मासिक दर का निर्धारण प्रत्येक दो वर्ष में भवन की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से निर्धारित होती है। आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य की गणना हेतु कारपेट एरिया की गणना निम्नवत् की जायेगी।

आवासीय भवनो की माप

1. कमरे, आच्छादित बरामदा की आन्तरिक पूर्ण माप।
2. बालकनी, कॉरीडोर, भण्डार गृह, रसोई की आन्तरिक आयाम की आधी माप।
3. गैराज–आन्तरिक आयाम की चौथाई माप।
4. स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको, और जीने को कारपेट एरिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

या

भवन के कुल कवर्ड क्षेत्रफल की 80% माप कारपेट एरिया होगी।

आवासीय भवनों पर छूट एवं बढ़ोत्तरी

उक्त आधार पर निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन में स्वयं के प्रयोग वाले भवन या भवन भागो पर क्रमशः 0 से 10 वर्ष तक 25% 10 से 20 वर्ष तक 32.5% एवं 20 वर्ष से अधिक के भवनो पर 40% की स्वामित्व छूट अनुमन्य होगी।

भवन के किराये की स्थिति में 0–10 वर्ष तक उक्त गणना से निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन में 25% 10 से 20 वर्ष तक 12.5% की बढ़ोत्तरी होगी। व 20 वर्ष से अधिक पर वा0मू0 में कोई परिवर्तन नही नहीं होगा।

आवासीय भवनो की स्वकर निर्धारण गणना

किसी 100 वर्गफुट के भवन जिसका न्यूनतम किराया रू0–2.00 प्रति वर्गफुट निर्धारित है, भवन 15 वर्ष पुराना है। वा0मू0 निम्नवत निर्धारित होगा।

1. स्वयं के प्रयोग पर– 100x2x12= रू0–2400–32.5%= रू0–1600/–
2. किराये की स्थिति में–100x2x12= रू0–2400+12.5%= रू0–2700/–

उक्त निर्धारित वा0मू0 पर कर की दर नगर निगम द्वारा क्रमशः 15% गृहकर, 12.5% जलकर एवं 4% सीवरकर देय होगा।

निर्धारित प्रपत्र पर भवन स्वामी/अध्यासी अपने भवन के आवासीय भाग की माप प्रपत्र 'क' एवं 'ख' पर एवं अनावासीय भाग की माप प्रपत्र 'ग' एवं 'घ' पर आगणन कर प्रस्तुत कर सकता है।

अनावासीय भवनों की स्वकर निर्धारण गणना

अनावासीय भवनों का स्वकर निर्धारण नवनों के प्रगोग, प्रकृति के आधार पर गुणांकों का निर्धारण उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पति कर) नियमावली 2000 में निर्धारित है।

अनावासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन की गणना के सम्बन्ध में कारपेट एरिया के स्थान पर भवन के कवर्ड एरिया पर आगणन होगा एवं अनावासीय भवनों पर स्वयं या किराये पर प्रयोग के छूट/बढ़ोत्तरी के प्राविधान लागू नहीं है।

किसी भवन में 100 वर्गफुट दुकान, 200 वर्गफुट गोदाम है एवं निर्धारित न्यूनतम किराया रू0–2/– प्रति वर्गफुट निर्धारित है, का वा0मू0 निम्नवत् होगा।

1. दुकान–100x2x12= रू0–2400X5= रू0–12000/–
2. गोदाम–200x2x12= रू0–4800X3= रू0–14400/–

कुल वा0मू0–रू0–26400/–

उक्त आगणित वा0मू0 पर उपरोक्तानुसार गृहकर, जलकर एवं सीवरकर देय होगा।
वार्डवार न्यूनतम किराया दर भवन की पृकृति, भवन की अवस्थिति के आधार पर वार्डवार दरें एवं अनावासीय भवनों के निर्धारण गुणांक नगर निगम वेव साइट **kmc.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

नगर निगम सीमाक्षेत्र के समस्त भवन स्वामी निर्धारित प्रपत्र पर अपने भवन का स्वकर निर्धारण कर विवरण सम्बन्धित जोनल कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है एवं बिल पर भवन की पहचान संख्या एवं निर्धारित भवन संख्या से नगर निगम वेवसाइट के माध्यम से आनलाइन या कार्यालय में भुगतान कर सकते है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण-निर्धारित प्रक्रिया

- डॉ अजय कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी

जन्म–मृत्यु पंजीकरण अतिमहत्वपूर्ण नागरिक दायित्व है जो नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र जहाँ स्कूलों में प्रवेश एवं पासपोर्ट के लिए अनिवार्य है वही मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा वारिस प्रमाण पत्र, स्वामित्व परिवर्तन एवं अन्य अनेंक मामलों में आवश्यक होता है।

जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनवानें हेतु समान्यतः प्रिन्टेड आवेदन पत्र का प्रयोग किया जाता है। जन्म प्रमाण के लिए पीले रंग के और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हरे रंग के आवेदन पत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे रू0 5.00 में प्रेस अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र सूचना दाता द्वारा भरा जाता है जो यथासंभव निकट सम्बन्धी होना चाहिए। आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है–

01 संबंधित के माता अथवा पिता का परिचय पत्र (सामान्यतः आधार कार्ड की छायाप्रति)।
02 संबंधित के माता या पिता की पासपेर्ट साइज फोटो।
03. जन्म या मृत्यु का प्रमाण (सामान्यतः संबंधित चिकित्सालय/पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जरी)।
01. जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के अन्दर की स्थिति में उपरोक्त प्रपत्रों के साथ निः शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
05. जन्म या मृत्यु की घटना के 21 से 30 दिन की स्थिति में उपरोक्त प्रपत्रों के साथ रू0 2.00 का विलम्ब शुल्क देय होगा।
06. 30 दिन से एक साल की स्थिति में उपरोक्त प्रपत्रों के साथ विलम्ब का शपथ पत्र एवं रू 5.00 विलम्ब शुल्क देय होगा।
07. 1 साल से 10 साल तक की स्थिति में उपरोक्त प्रपत्रों के साथ जिलाधिकारी महोदय से विलम्ब छूट की अनुमति एवं रू0 10.00 का विलम्ब शुल्क देय होगा।
08. 10 साल से अधिक पुराने जन्म/मृत्यु की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से जाँच उपरान्त जिलाधिकारी महोदय से विलम्ब छूट की अनुमति एवं रू 50.00 विलम्ब शुल्क राजकीय कोषागार में जमा करना होगा।

उपरोक्तानुसार आवेदन नगर निगम कानपुर में निम्नलिखित स्थानों पर जमा किये जा सकते है–

1. मुख्यालय नगर निगम मोतीझील स्वास्थ्य अनुभाग।
2. जोनल स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जोन–2, कृष्णानगर।
3. जोनल स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जोन–5, गाविन्द नगरं
4. चुन्नीगंज ग्रेवयार्ड।
5. भैरोघाट।
6. भगवतदास घाट।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन पत्रों को जोनल स्वच्छता अधिकारियों/सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से मौके की जाँच एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण कर नियमानुसार सामान्यतः एक माह के अन्दर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है। उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गमन से सम्बन्धित समस्या या जानकारी के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कानपुर से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

जलसंयोजन/सीवर कनेक्शन-निर्धारित प्रक्रिया।

जल संयोजन/सीवर संयोजन एक आवश्यक नागरिक जरूरत है जो जलकल विभाग नगर निगम कानपुर द्वारा किया जाता हैं। इसके द्वारा पेयजल की जलापूर्ति एवं घरों से निकले अपशिष्ट मल के सुरक्षित निष्कासन हेतु घरेलू /कमर्शियल कनेक्शन दिये जाते हैं।

जल संयोजन एवं सीवर संयोजने की एक तकनीकी प्रक्रिया है जो जलकल विभाग में पंजीकृत प्लबरों के माध्यम से किया जाता हैं। इसके अन्तर्गत जल संयोजन हेतु गुलाबी रंग की आवेदन बुकलेट, सीवर संयोजन हेतु पीले रंग की बुकलेट तथा अवैध जल संयोजन के नियमितीकरण हेतु नीले रंग की आवेदन बुकलेट क्रमशः 20.00/–रूपये, 20.00/– रूपये एवं 10.00/–रूपये. ळैज का भुगतान कर जलकल विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

जल संयोजन हेतु भवनस्वामी/अध्यासी का परिचय पत्र (सामान्यतः आधार कार्ड की छायाप्रति), भवन के मानचित्र की छायाप्रति, आवेदन के साथ आवश्यक होता है। उक्त के अतिरिक्त विकास शुल्क (प्रति वर्गमी0 आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार आगणित) रोड कटिंग शुल्क (नगर निगम कानपुर के अभियंत्रण विभाग मे जमा होगा) जल संयोजन फीस रू.552/– पंजीकरण शुल्क रू.50/– प्लबरिंग सुपर विजन शुल्क एवं कनेक्शन में प्रयुक्त सामान की कीमत देय होगी। किरायेदारी होने पर जमानत के रूप में रू. 1500/– अतिरिक्त देय होगाा।

अवैध जल कनेक्शनों के नियमितीकरण हेतु रू. 2500/– का एक मुश्त भुगतान कराकर कनेक्शन को नियमित कर लिया जाता है। जिसमें नियमितीकरण शुल्क एवं विकास शुल्क दोनों ही सम्मिलित होता है।

सीवर कनेक्शन हेतु उपरोक्तानुसार जलसंयोजन हेतु निर्धारित विकास शुल्क के अतिरिक्त न्यूनतम सीवर प्रभार एवं संयोजन शुल्क देय होता है।

उक्त कं सम्बंध में अधिक जानकारी या शिकायत के लियें जोनल अधिशाषी अभियन्ता जल कल या सचिव जल कल या महा प्र0 जल कल से बेनाझाबर, कानपुर स्थिति जल कल कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

नगर निगम के स्वच्छता सेनानी

– पूजा त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त

वैश्विक महामारी कोरोना जनित लाक डाउन के दौरान नगर निगम कानपुर के सफाई कर्मचारी ने जिन्हे स्वच्छता सेनानी कहा गया है, अपनी जान की परवाह किये बिना साफ सफाई का कार्य नियमित रुप से करते हुये कोरोना से जंग मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे स्वच्छता सेनानियों पर नगर निगम कानपुर को नाज है। इनमे से कुछ का सक्षिप्त परिचय उल्लेखनीय है –

श्री लल्लू प्रसाद , आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी

श्री लल्लू प्रसाद हमारे स्वच्छता सेनानी है । लल्लू प्रसाद जोन 3 के खाड़ेपुर वार्ड में पिछले लगभग 6 वर्षो से आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी के तौर पर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

लल्लू प्रसाद समय से अपने क्षेत्र में पहुंच कर सड़कों गलियों व नालियों की सफाई का काम शुरू कर देते हैं। ये अपने कार्य को इतनी जिम्मेदारी और मेहनत से करते हैं कि इनके अधिकारी व वार्ड पार्षद किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन्हें ही याद करते हैं। लल्लू प्रसाद हाथ मे लिए गए काम को पूरी लगन से करते हैं पर जब लोग काम के तुरंत बाद सड़कों पर गंदगी फेंक देते हैं तो ये देखकर इन्हें बहुत दुख होता है।

लल्लू गुजैनी में अपनी पत्नी व तीन बच्चों के साथ एक किराये के मकान में रहते हैं। इनके तीनों बच्चे पास के स्कूल में कक्षा 3, 5 और 7 में पढ़ रहे हैं। अल्प संसाधनों में घर का किराया, बिजली का बिल और बच्चों की स्कूल फीस भरने के बाद परिवार का खर्च चलाना एक चुनौती से कम नहीं है पर इन चुनौतियों के साथ भी स्वाभिमान और संतोष से जीना और अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पित रहना हमारे इन स्वच्छता सेनानियों से सीखा जा सकता है।

नगर निगम परिवार को आप पर नाज है लल्लू प्रसाद। आप पारिवारिक और कार्यक्षेत्र की हर चुनौती को मात देकर एक सफल और सुखी जीवन जियें। शुभकामनाएं!!!

श्री सुरेश ,संविदा सफाई कर्मचारी

श्री सुरेश हमारे स्वच्छता सेनानी हैं। 35 वर्षीय सुरेश जोन 4 में संविदा सफाई कर्मी के तौर पर पिछले 10 वर्ष से अपनी अति महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। यूं तो सफाई का कार्य अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण होता है जहाँ एक कर्मी हमारे और आपके द्वारा उपभोग किये गए और प्रायः लापरवाही से एक साथ मिश्रित कर फेंके गए हर प्रकार के हानिकारक और बदबूदार कचरे के बीच काम करके शहर को साफ रखने और हमें बीमारियों से बचाने की कोशिश करता है पर सुरेश का काम इससे भी कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। सुरेश जल्लाद का काम करते हैं और मरे हुए जानवरों को उठाकर निर्धारित स्थान पर निस्तारित करते हैं। यह काम निश्चित ही कठिन और कष्टसाध्य है पर अपने कर्म के प्रति समर्पण और ईमानदारी के चलते सुरेश प्रतिदिन सही समय पर उपस्थित हो जाते हैं और जहाँ भी आवश्यकता होती है अपनी साइकिल से जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करते हैं।

सुरेश बर्रा विश्व बैंक के पास एक कच्चे मकान में अपने माता पिता पत्नी और एक आठ वर्ष की बेटी के साथ रहते हैं। इनकी इकलौती प्यारी और होनहार बेटी विवेकानंद स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा है। सुरेश गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। हमने भी इनकी बेटी की शिक्षा में यथासम्भव सहयोग का आश्वासन दे दिया है और आप सबसे आग्रह है कि इन स्वच्छता सेनानियों के बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आएं।

नगर निगम परिवार को आप पर नाज है सुरेश। आपकी लगन, मेहनत और काम को दिल से सलाम। आपकी बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों को अलंकृत करे। स्वस्थ और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं!!!

श्री राजेश , संविदा सफाई कर्मचारी

श्री राजेश कुमार हमारे स्वच्छता सेनानी हैं । 45 वर्षीय राजेश सन 2007 से नगर निगम में संविदा सफाई कर्मी के तौर पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। झाड़ी बाबा पड़ाव क्रासिंग के रहने वाले राजेश सुबह सुबह ही अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं अपने कार्यक्षेत्र वार्ड 33 पनकी की सड़कों की धूल हटाने और बीमारियों को मिटाने के मिशन के लिए। इनकी मेहनत और कर्मनिष्ठा इन्हें अधिकरियों और स्थानीय जनता का स्नेहपात्र तो बनाती ही है साथ ही अपने साथी कर्मचारियों को भी मेहनत और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

राजेश अपने कार्य के लिए जितने समर्पित है पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भी उतने ही सजग हैं। इनके परिवार में इनके अतिरिक्त पत्नी, एक बेटी और दो बेटे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है और वो सरकारी सेवा में कार्यरत अपने पति और परिवार के साथ एक सम्पन्न जीवन जी रही है ।

बड़ा बेटा लकी स्नातक की पढाई करने के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए है। छोटा बेटा रजत स्कॉलरशिप की सहायता से बी टेक करने के बाद फिलहाल दिल्ली में ट्रेनिंग पर है।

इनके दोनों बेटे संस्कारी हैं और अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखते है, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी नियति से संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। लकी कहते है कि हमें अपने पिता पर गर्व है उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया अब हम आगे बढ़कर उन्हें खुशियां देना चाहते हैं।

आपके परिवार के साथ आपके नगर निगम परिवार को भी आप पर नाज है राजेश। आप एक अच्छे कर्मचारी होने के साथ ही उन सैकडों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत और मनोबल के साथ अपने बच्चों को एक सुंदर भविष्य देने को संकल्पित हैं।

नगर निगम अधिनियम के अर्न्तगत सामान्य जन की सेवाओं से संबंधित विधिक प्रवाधान

-कृश्ण कुमार, एडवोकेट, विधिपरामर्शी, नगर निगम कानपुर

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959, जिसके द्वारा नगर निगम का वजूद कायम हुआ, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अर्तगत राश्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 जनवरी 1959 को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा वह उ0 प्र0 सरकारी असाधारण गजट दिनांक 24 जनवरी 1959 में प्रकाशित हुआ। अधिनियम की धारा 5 उपबन्धित करती है कि प्रत्येक नगर के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यन्वित करने के लिये निम्नलिखित निगम प्राधिकारी उत्तरदायित्व होगें–

(क) निगम

(ख) कक्ष समितियां

(ग) निगम की कार्यकारिणी

(घ) महापौर

(ड़) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिये नियुक्त नगर आयुक्त और एक या अधिक अपर नगर आयुक्त ।

नगर निगम अधिनियम की धारा 114 नगर निगम के आवश्यक कर्तव्यों का वर्णन करती है तथा धारा 115 नगर निगम के स्व विवेकानुसार कर्तव्यों का वर्णन करती है।

नगर निगम के जनसामान्य से सम्बन्धित कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिनका सम्बन्ध आम जनमानस से होता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

(1) जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।

(2) दाखिल खारिज करना।

(3) खतरनाक स्ट्रक्चर या भवन का गिराया जाना।

(4) साफ–सफाई व कूड़ा निस्तारण करना।

1. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इच्छुक व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र शपथपत्र तथा सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य सम्बन्धित कार्यालय में जमा करना होता है तथा जाचोपरांत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि कोई परेशानी हो तो सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। यह साधारण प्रक्रिया जन्म एवं मृत्यु दोनों प्रमाण पत्रों में लागू होता है।

2. दाखिल खारिज करना

दाखिल खारिज के लिये इच्छुक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, स्वामित्व का अभिलेख व अन्य साक्ष्य सम्बन्धित जोनल कार्यालय में जमा करना होता है। जिसमें जोनल अधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक जॉचोंपरात अपनी आख्या देते है तथा अविवादित मामलें में समाचार पत्र में प्रकाशन में उपरान्त कोई आपत्ति न आने पर निर्धारित फीस जमा करने के उपरान्त दाखिल खारिज कर दिया जाता है। परंतु , विवादित मामलों में सक्षम अधिकारी दोनों पक्षों से सुनवाई या समान अवसर देने के उपरांत दाखिल–खारिज करने या न करने के संबंध में निर्णय लेता है। यदि स्वामित्व एवं अध्यासन संबंधी कोई विवाद पक्षकारों के मध्य न्यायालय में विचाराधीन होता है तो परिस्थितियों के अनुसार सक्षम अधिकारी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अपना निर्णय लेता है। स्वामित्व के विवाद का निस्तारण सिविल कोर्ट द्वारा ही हो सकता है। नगर निगम स्वामित्व के विवाद का निस्तारण नहीं कर सकती।

3. खतरनाक स्ट्रक्चर या भवन का गिराया जाना

नगर निगम अधिनियम की धारा 331 ऐसी संरचनाओं इत्यादि का हटाया जाना जो खंडहर है अथवा गिराने वाले हैं। को हटाने गिराने आदि को उपबन्धित करती है। नगर आयुक्त को यह अधिकार होता है कि शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से जानकारी होने पर कोई संरचना जिसके अंतर्गत कोई भवन, दीवाल, खड़ंजा, मुडेर, फर्श, सीढ़ियां, जंगले, दरवाजे, खिड़की की चौखटे, संधारण अथवा छत या अन्य संरचना जो खंडहर है अथवा गिरने वाला है अथवा किसी प्रकार उस व्यक्ति के लिये खतरनाक हो जो उसमें रहता है अथवा पडोस में रहता है अथवा आता जाता है, गुजरता है तो नगर आयुक्त लिखित नोटिस द्वारा संरचना के स्वामी अथवा अध्यासी से उक्त संरचना को गिराने या उसे दृढ़ करने हटाने या मरम्मत करने या ऐसी ही एक या एक से अधिक कार्य करने और उससे पैदा होने वाले संकट के समस्त कारणों को दूर करने की अपेक्षा कर सकता है। ज्यादा गम्भीर मामले में बिना नोटिस के भी कार्यवाही की जा सकती है। कभी–कभी मकान मालिक अपने किरायेदारों को निकालने के उद्देश्य से इस प्रविधान का दुरूपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सम्बधित अभियन्ता का यह गभीर दायित्व हो जाता है कि वह अपने विशेशज्ञ ज्ञान का प्रयोग निशपक्ष होकर करे तथा जाँच में इस बिन्दु पर भी विचार करे कि वास्तव में कितना हिस्सा गिराया जाना है अर्थात बिना गिराये या हटाये खतरा दूर नहीं किया जा सकता तथा कितने हिस्से को दृढ़ करने की आवश्कता है तथा कितने हिस्सो को मरम्मत की आवश्यकता है तथा कितने हिस्से को गिराने या हटाने की आवश्यकता नहीं है।

4. साफ–सफाई व कूड़ा निस्तारण करना

साफ–सफाई एवं कूडा निस्तारण के कार्य का सीधा सम्बंध नगर वासियों के स्वास्थ से है तथा साफ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करना नगर निगम का महत्वपूर्ण दायित्व है। अधिनियम की धारा 114 में मल इत्यादि, दुर्गन्ध, अपशिश्ट पदार्थ, कूड़ा, करकट, सार्वजनिक सडको की साफ–सफाई, नालियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि, नालियों आदि की मरम्मत, जल को दूशित न होने देना, खतरनाक भवनों को हटाना, गन्दी बस्ती का सुधार व उन्नयन आदि नगर निगम के आवश्यक कर्तव्यो का प्राविधान करता है। अधिनियम के अध्याय 10 में नालियां का निर्माण उनकी मरम्मत, मल आदि का निस्तारण, नालियां की सफाई, नालियां खाली करना व मल आदि का निस्तारण, नावदानो, संडासो, मूत्रालय आदि का निर्माण, साफ–सफाई आदि को अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 460 उन अपराधो का वर्णन करती है, जिसके उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था की गयी है। संक्षेप में, कूड़ा करकट सड़क पर फेंकना, नाली–नाला में जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करना, बिल्डिंग मैटिरियल सड़क या फुटपाथ पर रखकर सार्वजनिक आवागमन को अवरूद्ध करना आदि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अन्त में, आम जनता से निवेदन है कि धैर्य व शान्तिपूर्वक विधिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं को उचित / सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लायें तथा विश्वास रखें, विधि सम्मत समाधान अवश्य होगा। नगर निगम से सम्बन्धित उक्त प्राविधानों के सम्यक प्रयोग एवं क्रियान्वयन से कानपुर शहर निश्चित रूप से अपनी समस्याओ का समाधान करते हुए देश–विदेश में अपना विशिश्ट स्थान प्राप्त करने में सफल होगा।

****

समाचार पत्रों की नजर में
नगर निगम कानपुर

ग्रीन बेल्ट से हटा अतिक्रमण, नोकझोंक

यशोदा नगर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जोनल अधिकारी से एक भाजपा नेता की झड़प हो गई।

कानपुर। नगर निगम जोन-दो के अधिकारी [illegible] पटेल ने पर्यावरण दिवस (पांच जून) पर होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को देखते हुए ग्रीन बेल्ट से कब्जे हटवाए। शांति मिशन चौराहे से पशुपति नगर रोड के दाहिनी तरफ पटरी पर मौरंग डालकर कब्जा किया गया था। नोकझोंक के बाद इसे भी हटवा दिया गया। यहां से चार ट्रक बिल्डिंग मैटेरियल भी जब्त किया गया है। 48 हजार रुपये यूजर चार्ज भी वसूला। वहीं, जोन तीन अधिकारी राधेश्याम पटेल ने टीम के साथ [illegible]गंज चौराहे से यशोदानगर तक अभियान चलाकर ग्रीन बेल्ट खाली कराई। टीम ने भी ट्रक बॉडी मेकर के मालिक से 20 हजार यूजर चार्ज भी वसूला।

नई व्यवस्था | नगर निगम नवंबर महीने से शहर मे रोज उठाएगा सौ मीट्रिक टन मलवा

कूड़े की तरह अब मलबे का होगा निस्तारण

जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर में जगह-जगह फैले मलबे से जनता को जल्द राहत मिलेगी। नगर निगम नवंबर से कूड़े की तरह मलबे का भी निस्तारण करने जा रहा है। मलबा उठाने के साथ ही फैलाने वालों पर एनजीटी के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही भाऊसिंह पनकी में स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में मलबे से टाइल्स बनाकर अपनी आय भी करेगा।

कूड़े से खाद व आरडीएफ और प्लास्टिक से बायो डीजल बनाने के साथ ही अब मलबे से पार्कों और फुटपाथों में प्रयोग होने वाली टाइल्स बनाने जा रहा है। इस बाबत भाऊसिंह पनकी में पांच सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल में डेढ़ करोड़ रुपये का प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट के निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान की कंपनी रोल जेक्ट को सौंपी है। नवंबर में दीपावली से प्लांट शुरू हो जाएगा। पहले सौ मीट्रिक टन मलबे का निस्तारण होगा इसके बाद प्लांट का और विस्तार किया जाएगा। बनने

भैरव घाट [illegible] द्वार

वाली टाइल्स नगर निगम विकास कार्यों में प्रयोग करेगा। इस्टीमेट में टाइल्स की धनराशि हटा दी जाएगी। इससे नगर निगम को हर साल लाखों रुपये का लाभ होगा।

नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने अफसरों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इसके लिए जोनवार मलबा उठाने की टीमें और वाहन तैनात किए जाएंगे। अधिशासी अभियंता आरके सिंह ने बताया कि कंपनी फाइनल हो गई है। प्लांट में काम शुरू होने जा रहा है। दीपावली में मलबा उठाने की शुरुआत हो जाएगी। अभी मलबा रखने की जगह की दिक्कत थी। अब मलबे से टाइल्स बनेगा। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।

1.5 करोड़ रुपये से भाऊसिंह पनकी में लगाया प्लांट बनेंगे टाइल्स

प्लांट का हाल

प्लांट बनेगा - भाऊसिंह पनकी

जगह- पांच सौ मीटर

रोज मलबे का निस्तारण - 100 मीट्रिक टन

प्लांट की लागत - डेढ़ करोड़

बनना शुरू होगा- नवंबर माह से

शहर में एकत्र- लाखों मीट्रिक टन मलबा एकत्र

अभी कूड़ा निस्तारण प्लांट मे रोज साढ़े नौ सौ मीट्रिक टन कूड़े से खाद व आरडीएफ यह भी बनने जा रहा है

रोज पांच मीट्रिक टन प्लास्टिक से बायो डीजल

(पवित्र वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भोपाल पीपीपी मॉडल से बना रही है)

मुरे कंपनी पुल कूड़ाघर सबसे स्वच्छ

कानपुर : मुरे कंपनी पुल कूड़ाघर रविवार को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक [illegible] कुमार व सफाई नायक अनिल को लॉक डाउन के बाद सम्मानित किया जाएगा।

कंट्रोल रूम में आईं 11 शिकायतें

कानपुर : रविवार को केंद्रीय कंट्रोल रूम में 11 शिकायतें आई हैं। इस तरह अब तक 4,069 शिकायतें हो चुकी हैं। इनमें से 4,034 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है, शेष शिकायतों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

28 स्थानों पर जेटिंग मशीन से सैनिटाइजेशन

कानपुर : नगर निगम टीम ने रविवार को शहर के 28 स्थानों को जेटिंग मशीन से सैनिटाइज किया। इसमें मेडिकल कॉलेज परिसर, सीसामऊ, सद्भावना चौकी, बास मंडी, पटकापुर, मेस्टन रोड, रामा डेंटल कॉलेज, बाबूपुरवा, मुंशीपुरवा आदि क्षेत्र शामिल हैं।

[illegible] 30 दिन में जुर्माना व नीलामी से मिले 9 लाख रुपए, वर्ष 2019 तक एक वर्ष में 5 लाख की आय थी

जानवरों के जरिए नगर निगम की रिकॉर्ड कमाई

हिन्दुस्तान खास

[illegible] पांडेय

[illegible]

जानवरों से हुई आमदनी

- 5.15 [illegible]
- 3.67 [illegible]
- 9.2 [illegible]

हाउस व वाटर टैक्स की स्थिति

- [illegible] 5 लाख रुपए
- सीवरेज और वाटर टैक्स से [illegible] 1.75 लाख रुपए

कैस्को रहा आगे

- [illegible] 207.80 [illegible]
- [illegible] 100.62 [illegible]

कैस्को को ऑनलाइन भुगतान

- [illegible] 71.34 [illegible]
- [illegible] 124682
- अप्रैल में आए 57 करोड़
- जमा करने वाले उपभोक्ता 106230

सीएम को महापौर ने सौंपा 40.51 लाख का चेक

कानपुर। कोरोना से जंग लड़ने के लिए महापौर प्रमिला पाण्डेय ने नगर निगम की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40.51 लाख रुपए का चेक सौंपा है। नगर निगम कर्मचारियों ने अपने वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती करके कोरोना की मदद के लिए दिया था। सीएम ने इसके लिए महापौर के जरिए नगर निगम कर्मियों को धन्यवाद दिया है। महापौर ने बुधवार देर शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि कानपुर शहर में कोरोना से जंग के लिए बेहतर ढंग से तैयारियां की जा रही हैं।

महापौर व नगर आयुक्त ने अंदर घुसकर देखा नाला

कानपुर। बारिश के दौरान वीआईपी रोड पर जल भराव को खत्म करने के लिए चल रही [illegible] में मंगलवार को उस समय सफलता मिल गयी जब महापौर प्रमिला पाण्डेय ने आरपीएच के नीचे नाला खोज लिया। यह नाला चल रहा था लेकिन इसकी जानकारी किसी भी विभाग को नहीं थी। मंगलवार को महापौर प्रमिला पाण्डेय और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी वीआईपी रोड पर जल भराव खत्म करने के काम को देखने गये थे। यहां पर वीआईपी रोड स्थित आरपीएच के नीचे की ओर जा रहे नाले को खोज निकाला गया। अंदर तीन स्थानों पर खुदाई के दौरान नाला चलता हुआ मिला। वहीं गंगा की ओर से आरपीएच के अंदर 12 मजदूरों के द्वारा करीब 45 मीटर की मिट्टी को हटाते हुए बढ़ रहे थे। जोनल अभियंता ने बताया कि मंगलवार की शाम तक नाला पूरी तरह से साफ हो जायेगा। नाला बंद होने के कारण ही वीआईपी रोड पर जल भराव हो जाता है। महापौर और नगर आयुक्त खुद नाले में 50 मीटर अंदर तक गये और स्थिति का जायजा लिया। नगर आयुक्त ने कहा कि आरपीएच नाले का एलाइनमेंट देखते हुए आगे बढ़ा जाये।

राज्य मंत्री ने सफाई कर्मियों का किया सम्मान

कल्याणपुर। अंबेडकर पुरम में राज्य शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार ने जन सेवा में कार्यरत कोरोना वारियर्स सफाई नायकों को मास्क, सैनिटाइजर, राशन सामग्री वितरित की। इस मौके पर सभी ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। यहां मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी, राम प्रसाद कनौजिया, अनूप बाजपेई, रवि सिंह, विशाल गुप्ता रहे।

स्मार्ट चिप से रखी जाएगी कूड़ा उठाने की व्यवस्था पर नजर

कानपुर। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली टीम पर अब स्मार्ट चिप नजर रखेगी। इसके लिए मोहल्ले के प्रवेश द्वार और कूड़ा गाड़ी में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (आरएफआईडी) लगाया जाएगा। इससे गाड़ी के मोहल्ले में पहुंचते ही नगर निगम के कंट्रोल रूम को जानकारी मिल जाएगी। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। महापौर ने नगर आयुक्त से कहा कि कूड़ा उठाने का काम हाईटेक किया जाए। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को आरएफआईडी से जोड़ देंगे तो ऑनलाइन कंट्रोल रूम में बैठकर कूड़ा उठान की निगरानी की जा सकेगी।

हंगामे के बीच 18 मवेशियों की 6.12 लाख में नीलामी

❑ अपर नगर आयुक्त विशेष के सामने लगाई गई बोली

दुकानदारों को डस्टबिन रखने की दी हिदायत

कानपुर : महापौर ने जनता सौगंध अभियान के तहत डुगडुगी बजाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान दुकानदारों को डस्टबिन रखने की हिदायत दी गई। महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा पिछले 16 अगस्त से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हरवंश मोहाल में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इसी तरह यशोदा नगर पश्चिमी में भी स्वच्छता रैली निकाली गई। -जासं

जनता सौगंध से बदलने लगी शहर की सूरत

कानपुर में बनेगा स्ट्रीट फूड हब

❑ किदवईनगर म्यूजिकल फाउन्टेन पार्क में बनाने की तैयारी शुरू

निर्माणाधीन स्थल स्ट्रीट फूड हब।

अशोक त्रिपाठी कानपुर नगर निगम के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अशोक कुमार त्रिपाठी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उ०प्र० लखनऊ से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, कानपुर नगर के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। श्री अशोक कुमार त्रिपाठी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

हाउस टैक्स के दायरे में 5600 नए भवन

KANPUR (25 Aug): पहले से खराब माली हालत का शिकार नगर निगम लॉकडाउन के बाद और भी खस्ताहाल हो गया, लेकिन अब फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. ट्यूजडे को कैंप लगाकर हाउस टैक्स के दायरे से बाहर मकानों को शामिल किया गया. अभियान के तहत वार्ड-3 पनकी में 5500 नए भवन और वार्ड-17 सरायमीता में 100 नए अनावासीय भवनों का हाउस टैक्स निर्धारित किया गया. कर अधीक्षक सभाजीत सिंह व ओम प्रकाश सोनी और राजस्व निरीक्षक प्रशान्त मिश्रा और संजय सिंह की देखरेख में अभियान चलाया गया.

नगर निगम ने जोन स्तर पर संक्रमित थाना क्षेत्रों के सेनेटाइजेशन की बनायी योजना

तीन वार्डों में चला महापौर का डुगडुगी अभियान

सेनिटाइज करता नगर निगम का कर्मचारी।

नगर निगम ने 18 थाना क्षेत्रों में कराया सेनिटाइजेशन

नगर आयुक्त ने एडीएम की सूची के अनुसार दवा छिड़काव के दिये निर्देश

कानपुर 17 सितम्बर। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कन्टेनमेन्ट जोन की सूची के अनुसार नगर निगम द्वारा 18 थाना क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन कराया गया। [illegible] ...में 5 स्थानों पर लोगों के घरों के अंदर व बाहर की मशीन से सेनेटाइजेशन किया गया।

पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में 401 फार्म ही स्वीकृत

कानपुर। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की प्रगति समीक्षा की गई। योजना के अंतर्गत नगर आयुक्त ने एलडीएम एवं बैंकों के रीजनल मैनेजरों को निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि पोर्टल पर भरे गए फार्मों को जल्द स्वीकृत एवं वितरित करें। इस योजना के तहत बाजार में 1783 फार्म दिए गए। बैंकों ने 401 फार्म ही स्वीकृत किए। बैठक में अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, एके वर्मा, डूडा के परियोजना अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर आदि रहे।

नई व्यवस्था नगर निगम नवंबर महीने से शहर में रोज उठाएगा सौ मीट्रिक टन मलबा

कूड़े की तरह अब मलबे का होगा निस्तारण

1.5 करोड़ रुपये से खरीदीं एजेंसी में जमा होगा मलबा

शराब दुकानों से वसूला लाइसेंस शुल्क

दैनिक कानपुर उजाला

कानपुर। नगर निगम के जोन छह प्रभारी विनय प्रताप सिंह, कर अधीक्षक अमरजीत सिंह व कर निरीक्षक हरि शंकर शुक्ला की अगुवाई में बर्रा, ..., शास्त्रीनगर समेत आसपास इलाकों में शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर 93 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क वसूला।

पुल के खंभों की होर्डिंग हटवाई

कानपुर। दादानगर पुल व गोविंदपुरी पुल के खंभों में एक सप्ताह पहले ही स्ट्रीट लाइट लगाई गई। कुछ लोगों ने इसमें होर्डिंग लगा दी थी। पार्षद नवीन पंडित ने बताया कि बुधवार रात जोन पांच उप नगर अधिकारी स्वर्ण सिंह के साथ अभियान चलाकर सभी होर्डिंग हटवा दी गई। अब जो भी दोबारा होर्डिंग लगाएगा, उससे 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

रैली निकाल स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

कानपुर। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने परेड वार्ड-103 में घर-घर व बाजारों में जाकर इलाकाई लोगों व दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसी तरह जोन-2 में वार्ड 24 कृष्णानगर में स्वच्छता अभियान की रैली निकाली गयी। यहां भी घरों व बाजारों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। (एसएनबी)

महापौर ने बांटा भोजन

कानपुर : महापौर प्रमिला पांडेय ने शुक्रवार को गुजैनी हाईवे पर जा रहे कामगारों को भोजन के पैकेट, खीरा, ककड़ी, बिस्कुट के पैकेट और पानी दिया। जास

अब घर तक मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य आपके द्वार चलित वाहन का शुभारम्भ

वाहन को हरीझण्डी दिखाती महापौर प्रमिला पाण्डेय व कमिश्नर।

कानपुर 29 अगस्त। कोविड-19(कोरोना वायरस) वैश्विक संक्रमणकाल के दौरान मलिन बस्तियों एवं घनी आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित गर्भवती महिलाएं, किशोरियों एवं बुजुर्गों को पुनर्नवा फाउन्डेशन व डब्लूडब्लूडब्लू फाउन्डेशन संयुक्त रूप से आपके घर पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। जिसके लिए स्वास्थ्य आपके द्वार चलित वाहन का शुभारम्भ किया गया है। जिसको महापौर प्रमिला पाण्डेय, कमिश्नर डा0सुधीर एम.बोबडे व नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी द्वारा नगर निगम मुख्यालय मोतीझील से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिसके अन्तर्गत एक चलित वाहन में एक डॉक्टर एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य निरीक्षण की समस्त सुविधाएं रहेंगी और इसके साथ में ही जैसे आइरन, कैल्शियम ,बिटामिन टेबलेट आदि उपलब्ध होगा। जिसका आवश्यकतानुसार वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएमओ डा0अनिल मिश्रा एवं एचओडी जच्चा -बच्चा विभाग, मेडिकल कालेज डा0 किरन पाण्डेय फाउन्डेशन की पेट्रन डा0मीरा अग्निहोत्री व संस्थापक अध्यक्ष मनीषा बाजपेई आदि लोग उपस्थित थे।

महापौर , कमिश्नर व नगर आयुक्त ने हरीझंडी दिखाकर किया रवाना

अतिक्रमणकारियों से वसूला यूजर चार्ज, कब्जे गिराए

कानपुर : नगर निगम के दस्ते ने सोमवार को कोपरगंज में अभियान चलाकर फुटपाथ और सड़क पर बने अस्थायी कब्जे हटाए गए। इस दौरान विरोध करने वालों को खदेड़ दिया गया। प्रवर्तन प्रभारी आलोक नारायण की अगुवाई में दस्ता कोपरगंज पहुंचा। इस दौरान सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों से 65 हजार रुपये यूजर चार्ज वसूला गया और कब्जे गिराए दिए गए। (जास)

डुगडुगी पीटने के बाद होगी सफाई की मॉनीटरिंग

जास, कानपुर : महापौर प्रमिला पांडेय ने सोमवार को दानाखोरी वार्ड में पार्षद व अधिकारियों के साथ डुगडुगी बजाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यदि सफाई नहीं होती है तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन सफाई होने के बाद लोगों ने गंदगी फेंकी तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।

महापौर ने बताया कि जिन क्षेत्रों में डुगडुगी पीटी जाएगी, उनकी मॉनीटरिंग होगी। गंदगी मिली तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अक्टूबर तक हर हाल में शहर को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कहा कि नाली व नालों से जल्द अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। इससे पहले रविवार को महापौर ने पुराना कानपुर में सफाई अभियान चलाया था।

सेनेटाइजेशन अभियान चला

कानपुर (एसएनबी)। कोरोना संक्रमण पर अंकुश के लिये नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों व स्थानों पर ज्यादा जोर दिया गया।

इसके चलते नगर निगम कर्मियों ने जेटिंग मशीनों से हलीम चौराहा, कुलीबाजार, सुक्खा मस्जिद, फहीमाबाद कालोनी, बाबूपुरवा कालोनी, मो.अली पार्क, चमनगंज, परेड चौराहा पर सद्भावना चौकी, कारबालो नगर, सूफा मस्जिद बाबूपुरवा, खैर मस्जिद मछरिया, नसीमाबाद मस्जिद मछरिया, बिलाल मस्जिद मुंशीपुरवा, शिवकटरा और मन्नापुरवा व बजरिया आदि क्षेत्रों को सेनेटाइज किया गया।

बिना अनुमति जलनिगम की खुदाई महापौर ने रोकी

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

जाजमऊ के जाना गाव में बिना अनुमति के चल रही जलनिगम की खुदाई को महापौर ने रुकवाया। काम बंद करके महापौर ने पूरी जानकारी नगर आयुक्त व जोनल अधिकारी को दी है। जलनिगम महाप्रबंधक ने रोड कटिंग का पैसा न होने की बात महापौर से कही है।

जाजमऊ के जाना गाव के पास जलनिगम की ओर से सृष्टि कंपनी रोड कटिंग करके पाइप डाल रही थी। महापौर प्रमिला पांडे ने पहुंचकर काम बंद कराकर खुदाई की अनुमति मांगी। मौके पर मौजूद जलनिगम का सुपरवाइजर मनीष बाजपेई अनुमति नहीं दिखा सके। तत्काल महापौर ने जलनिगम के महाप्रबंधक एके गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल जलनिगम के पास रोड कटिंग का पैसा नहीं है। इसलिए आवश्यकता के मुताबिक काम कराया जा रहा है। पत्र भेज दिया गया है। महापौर ने बताया कि बारिश में अगर कोई दिक्कत हो जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। इसलिए बिना अनुमति के कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। पूरा मामला जोनल अधिकारी और नगर आयुक्त को बताया गया है। अगर पैसा नहीं है तो बताए दिलाया जाएगा। मनमाने तरीके से खुदाई नहीं करने दी जाएगी। पहले रोड कटिंग जमा करें। फिर खुदाई की अनुमति दी जाएगी।

सख्त रुख

- महापौर ने मनमानी को नगर आयुक्त और जोनल अधिकारी को बताया
- जलनिगम महाप्रबंधक ने रोड कटिंग का पैसा न होने की बात कही

कूड़ा उठाएगा, कोरोना से बचाएगा नगर निगम

[illegible] कानपुर : कोरोना संक्रमण को [illegible] देखते हुए अब नगर [illegible] कूड़ा उठाने के साथ ही कोरोना [illegible] का भी संदेश देगा। पुनर्नवा [illegible] ने नगर निगम प्रशासन के [illegible] मिलकर अभियान शुरू किया है। [illegible] कूड़ा वाहनों में कोरोना [illegible] जनप्रतिनिधि [illegible] के तरीके [illegible] अधिकारियों द्वारा बताता हुआ [illegible] बजेगा। अभी कूड़ा गाड़ियों में गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल [illegible] बजता है। अब [illegible] महापौर प्रमिला पांडेय, औद्योगिक [illegible] सतीश महाना, मंडलायुक्त सुधीर [illegible] बोबडे, आइजी मोहित अग्रवाल, [illegible] डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी, सीएमओ [illegible] शुक्ला व पुनर्नवा फाउंडेशन की संस्थापक मनीषा बाजपेयी बताएगी कैसे कोरोना से बचें। पुनर्नवा फाउंडेशन की संस्थापक ने बताया कि इसकी शुरुआत नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों से की गई है।

मजदूरों को लंच पैकेट देती महापौर प्रमिला पाण्डेय।

महापौर ने हाईवे पर प्रवासी मजदूरों को बांटा लंच

कानपुर 19मई। महापौर प्रमिला पाण्डेय मंगलवार को अपनी नगर निगम स्टॉफ सहयोगियों के साथ गुजैनी स्थित हाईवे पहुँची। जहां पर लॉक डाउन के दौरान विभिन्न [illegible] वाहनों से हाईवे होते हुए [illegible] की जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोक कर महापौर ने लंच बांटा और पानी के पाउच, लइया चना, गुड़, बिस्किट भी वितरण किया। जिसे पाकर प्रवासी मजदूरों के चेहरे में खुशी दिखी। इसके पहले भी महापौर हाईवे पर प्रवासी मजदूरों को लंच का वितरण कर चुकी है।

महापौर ने हाईवे पर प्रवासी मजदूरों को पानी और राहत सामग्री बांटी

कानपुर। [illegible]

पांच दिनों बाद बैराज से जलापूर्ति शुरू

कानपुर। शहर के तीन क्षेत्रों में पांच दिनों के बाद गंगा बैराज से मंगलवार को छह करोड़ लीटर जलापूर्ति शुरू हुई। हालांकि प्रेशर न होने का कारण ऊपरी मंजिलों में पानी नहीं पहुंचा। इससे लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। रावतपुर, फूलबाग व काकादेव में पाइप लाइन लीकेज होने के कारण गुरुवार से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई थी। इससे साउथ से लेकर सिटी तक दस लाख की आबादी प्रभावित थी। सोमवार को जल निगम के कर्मचारियों ने लीकेज सही किया तब जाकर मंगलवार को जलापूर्ति शुरू हो सकी।

साउथ से सिटी तक दस लाख की आबादी थी प्रभावित

इससे इटावा बाजार, राम नारायण बाजार, पटकापुर, बंगाली मोहाल, जनरलगंज, कुलीबाजार, नयागंज, शास्त्री नगर, दादा नगर, बर्रा, निराला नगर, साकेत नगर, जूही लाल कॉलोनी, जूही बम्बुरहिया, जूही सफेद कॉलोनी, उस्मानपुर, दामोदर नगर, गोवर्धनपुरवा समेत कई मोहल्लों में बैराज से जलापूर्ति ठप रही थी। इसके अलावा जिन मोहल्लों में जल निगम जलकल विभाग की पाइप लाइन में बैराज की पाइपलाइन जोड़कर पानी पहुंचता है, उन मोहल्लों में पानी न पहुंचने से लो प्रेशर से जलापूर्ति हुई थी।

नगर निगम में लगेगा सोलर पावर प्लांट

दैनिक कानपुर उजाला

कानपुर। नगर निगम मुख्यालय में 42 लाख रुपये से सौ किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए नेडा को धनराशि जारी कर दी गई है। अभी नगर निगम में हर माह दस लाख रुपये बिजली खर्च आता है। इसके चालू होने से बचने लगेगा। मुख्य अभियंता मार्ग प्रकाश आरके पाल ने बताया कि नवंबर माह तक चालू हो जाएगा।

115 सुअर 1.47 लाख की बिक्री हुई

कानपुर। नगर निगम ने शनिवार को पकड़े गए 115 सुअरों की नीलामी की। उन्नाव के व्यापारी ने 1.47 लाख रुपये में सुअर खरीदे। वहीं, अब तक नगर निगम का अमला आठ सौ सुअर पकड़कर बेच चुका है। इससे नगर निगम को 14 लाख रुपये की आय हुई है। जास

159 लाख के कार्यों का शिलान्यास

कानपुर। महापौर प्रमिला पांडे ने बुधवार को गोवर्धन पुरवा मलिन बस्ती, अम्बेडकर नगर, विजय नगर मलिन बस्ती में 159 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें सड़क, नाला-नाली और पार्क के कार्य हैं। पार्षद प्रमोद जायसवाल, परियोजना अधिकारी (डूडा) सतीश वर्मा, पार्षद अनूप शुक्ला, शेखर सचान, शिव कुमार शुक्ला, कमलेश तिवारी, अशोक मिश्रा आदि शामिल रहे।

जन्म–मृत्यु कार्यालय के बाहर रखी गयी पेटियां

दैनिक कानपुर उजाला

...में पौधरोपण करती महापौर प्रमिला पांडेय व नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी।

प्रतियोगिता में बाबा ग्लास कूड़ा अड्डा अव्वल

कानपुर। स्वच्छता को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गयी स्वच्छ कूड़ा अड्डा प्रतियोगिता में गुरुवार को जोन-5 के बाबा ग्लास कूड़ा अड्डा को अव्वल घोषित किया गया। यह निर्णय नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने निरीक्षण के बाद लिया। स्वच्छ व मॉडल कूड़ा अड्डा के लिये स्वच्छता निरीक्षक व सफाई नायक सम्मानित किये जायेंगे।

हर महीने 27 लाख की जैविक खाद का आर्डर

कानपुर। नगर निगम को फर्टिलाइजर कंपनी केएफसीएल (कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड) से हर महीने 27 लाख रुपये की जैविक खाद की आपूर्ति का आर्डर मिला है। इससे उत्साहित नगर निगम ने कई अन्य कंपनियों को भी जैविक खाद बेचने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में रोज करीब 1500 मीट्रिक टन कूड़े से जैविक खाद बनाई जा रही है। यहां रोज करीब 1000 मीट्रिक टन कूड़ा पहुंच रहा है। साथ ही यहां पहले से भी भारी मात्रा में कूड़ा पड़ा हुआ है। वर्षों से डंप लाखों मीट्रिक टन कूड़े को सीमेंट फैक्टरियों को आरडीएफ (रिफ्यूज डिवाइज फ्यूल) के रूप में 27 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है।

मंत्री ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान

जास कानपुर। अवधपुरी के उद्यान विहार पार्क में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री नीलिमा कटियार ने कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया। उन्होंने सिविल डिफेंस कोर के नवाबगंज प्रखंड के वार्डन पर फूल बरसा कर स्वागत किया। साथ ही सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और उन्हें राशन के पैकेट, फल, मिठाइयां व सैनिटाइजर आदि भेंट किए। कहा कि सिविल डिफेंस समाज में एक स्तंभ की तरह है जो हर संकट काल में सहयोग के लिए सामने आ जाता है। इस मौके पर पार्षद विजय कुमार, शिवांग मिश्रा, शुभम दीक्षित, विक्रांत सिंह, राजीव सिंह, अनूप शेखर, बजेंद्र अग्निहोत्री मौजूद थे।

नगर निगम के एक-एक वाहन की गतिविधि पर रहेगी नजर

जागरण संवाददाता, कानपुर : नगर निगम में हर साल ईंधन चोरी में करोड़ों का खेल होता है। इसे रोकने के लिए नगर आयुक्त ने ईंधन में चालीस फीसद कटौती कर दी है। इसके साथ ही अब एक-एक वाहन के आने-जाने पर और रोज चक्कर लगाने पर भी पैनी निगाह रहेगी। इससे पता चल जाएगा कि हर माह कितना ईंधन वास्तविक खर्च हो रहा है। कई वाहन सिर्फ कागजों में दौड़ रहे हैं और उनके लिए ईंधन भी जारी हो रहा है। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने ईंधन में 40 फीसद कटौती कर दी है। अभी हर माह ईंधन में 1.50 करोड़ रुपये खर्च होता है। कटौती के बाद 60 लाख हर माह बचेगा। इस हिसाब से एक साल में 7.20 करोड़ रुपये की ईंधन में बचत होगी। इस धन से हर साल कम से कम दस सड़कों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा 252 वाहनों पर हर वक्त नजर रखने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इससे पता चल जाएगा कि किस वाहन ने कितने चक्कर लगाए हैं। इसको लेकर सक्रिय रैकेट में हड़कंप मचा हुआ है। अभी नगर निगम के रोशनी विभाग के वाहनों में ही जीपीएस सिस्टम है। इसको अभियंत्रण, कैटल व स्वास्थ्य विभाग के वाहनों में लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने अफसरों को आदेश दिए हैं कि बंद पड़े वाहनों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

वाहनों पर खर्च

- वाहन 252
- एक माह में ईंधन जारी होता 1.50 करोड़ रुपये
- चालीस फीसद कटौती के बाद 90 लाख रुपये
- एक माह में बचत 60 करोड़ रुपये
- साल में 7.20 करोड़ रुपये
- फायदा बचे धनराशि का कहीं भी प्रयोग हो सकता है। इतने धन से दस सड़कें ठीक हो सकती हैं।

लुब्रीकेंट में खेल रोकने के लिए बनेगी बिल की तीन प्रतियां

जागरण, कानपुर : वाहनों में ईंधन की कटौती के साथ ही अब लुब्रीकेंट इस्तू पर भी अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। वाहनों में प्रयोग होने वाले [illegible] ऑयल और अन्य ऑयल की अब तीन प्रतियां बनेंगी। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने [illegible] प्रभारी को आदेश दिए हैं कि वाहनों के लिए लुब्रीकेंट इस्तू के बिल की तीन प्रतियां बनेंगी। [illegible]

मास्क बनाओ पुरस्कार पाओ

कानपुर। नगर निगम और कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन मास्क मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतिभागी मास्क की फोटो एवं अन्य विवरण maskmakingkscl@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 8429525805 पर पांच अगस्त तक भेजे जा सकते हैं।

चुने गए प्रतिभागियों को मास्क (जिसकी फोटो भेजी थी), नाम, पता, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो स्मार्ट सिटी कार्यालय में 10 अगस्त तक उपलब्ध करानी होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त को होगी। 10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तीन लेयर का मास्क बनाना होगा। वैकल्पिक मूल्य और सामग्री का विवरण भेजना होगा। मास्क बनाते हुए और पहनकर फोटो भी भेजनी होगी।

कुली बाजार में नगर निगम की टीम ने किया सैनिटाइजेशन।

कुली बाजार में घर-घर सैनिटाइजेशन

कानपुर। शहर के सबसे बड़े हॉटस्पाट कुली बाजार में शुक्रवार को नगर-निगम ने घर-घर सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी की मौजूदगी में 750 लोगों को एक लीटर की सोडियम हाइपोक्लोराइट की एक बोतल और 460 स्प्रे मशीन दी गईं। नगर आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में हाजी इनायत मस्जिद, शेख लल्लन मस्जिद, हाता वाली मस्जिद, छतायी राम का अखाड़ा के साथ 3435 मकान व करीब 21,500 आबादी रहती है। इस क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी का प्रसार न हो इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि लोग घरों में ब्लीचिंग व फिनायल का पोछा लगाएं।

स्वच्छता रैंकिंग में कानपुर की लंबी छलांग

कानपुर ने लगाई 38 पायदान की लंबी छलांग

नगर निगम के तीन कर्मी संक्रमित, बिल्डिंग सील

महापौर ने जेटिंग मशीन से किया सैनिटाइजेशन

शहर में मशीन से सैनिटाइज करती महापौर प्रमिला पांडेय • जागरण

जासं, कानपुर : सैनिटाइजेशन कर रहे सफाई कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सोमवार को महापौर प्रमिला पांडेय ने खुद अपने हाथ में जेटिंग मशीन का नोजल थाम लिया। महापौर को सैनिटाइजेशन करते देख लोगों ने तालियां भी बजाईं। सोमवार को महापौर बिरहाना रोड से गुजर रही थीं। उस समय वहां सफाई कर्मचारियों की टीम जेटिंग मशीन से सैनिटाइजेशन कर रही थी। महापौर ने कार रुकवाई और उतर कर एक कर्मचारी के हाथ से नोजल ले लिया और खुद ही मकानों पर सैनिटाइज करने लगीं। जेटिंग मशीन से बिरहाना रोड के अलावा कमलादेव, जिला जज परिसर, हिन्दी पंडाल, बर्रा, तिलक नगर, पटकापुर, कुली बाजार में सैनिटाइजेशन किया गया।

गंगा किनारे के शहरों में मिला दूसरा स्थान

सूखे कूड़े से कबाड़ निकाल कर बेचेगा नगर निगम

कूड़ा प्लाट मे स्थापित होगा मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर

राहुल शुक्ल • कानपुर

- रोज 300 मीट्रिक टन सूखे कूड़े का होगा निस्तारण, बढ़ेगी आय
- अभी गीले कूड़े से खाद बना किसानों को निशुल्क दी जा रही

भाऊसिंह पनकी स्थित प्लांट में जमा कूड़ा • जागरण आर्काइव

नगर निगम अब सूखे कूड़े से कबाड़ निकालने के बाद उसे बेचकर आय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भाऊसिंह पनकी स्थित कूड़ा प्लांट में मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। अभी प्लांट में प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन गीले कूड़े से खाद बनाई जा रही है, जो कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले समय में रोजाना एक हजार मीट्रिक टन गीले कूड़े से खाद बनाने की भी तैयारी की जा रही है।

वर्तमान में प्लांट में 10 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा है। यहां बनने वाले मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर में सूखे कूड़े से ऐसे कबाड़ को अलग किया जाएगा, जिसे बेचा जा सके। मसलन लोहा, प्लास्टिक, [illegible] आदि। मशीन से पॉलीथीन को काटकर उसे [illegible] जाएंगी जो सड़क बनाने के काम आएंगी। इसके अलावा मोटी व पतली प्लास्टिक से गोले बनाए जाएंगे, जिसका प्रयोग फैक्ट्रियों में लगे ब्वॉयलर में किया जाएगा। लोहा, कागज व कांच की भी बिक्री की जाएगी।

इससे होने वाली आय से प्लांट का रखरखाव किया जाएगा। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने अफसरों को सेंटर स्थापना की तैयारी के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता आरके सिंह का कहना है कि सेंटर स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया गया है।

इससे कूड़ा निस्तारण के साथ ही आय भी होगी। खाद व अन्य सामग्री तैयार करने के बाद मात्र 10 फीसद कूड़ा बचेगा। शहर में आधुनिक कूड़ाघर बनाए जा रहे हैं। यहां पर कूड़ा आएगा और सीधे प्लांट पहुंचेगा।

KMC feeds 3,000 street dogs

Kanpur Municipal Corporation fed around 3000 city street dogs at different localities on the direction of district magistrate Kanpur Nagar. Several teams visited the medical college, LLR hospital, Avas Vikas, Kargil Park, Rajeev Vatika, Brijendra Swarup Park, Chunniganj, Lal imli, Parade, Police lines and UHM hospital and fed street dogs who are starving in the lockdown.

नगर निगम बेचेगा दूध, बनाएगा खाद

गोशालाओ से दुधारू गायों को भेजा जाएगा जाजमऊ व पनकी गोशाला मे खाद बनाने के लिए

राहुल शुक्ल • कानपुर

नगर निगम अब जाजमऊ में दूध डेयरी [illegible] जा रहा है। अपनी गोशालाओं से [illegible] दुधारू गायों को [illegible] दूध की बिक्री की जाएगी। दूध बेचने से होने वाली आय को गोशालाओं के रखरखाव में खर्च किया जाएगा। नगर निगम खुद या फिर प्राइवेट डेयरी के जरिए दूध बेचेगा। इसके अलावा गोशालाओं में एकत्र होने वाले गोबर से खाद बनाई जाएगी। इसका ठेका कंपनी को देने के लिए टेंडर निकाले गए हैं।

नगर निगम जाजमऊ के [illegible] कांजी हाउस के साथ ही पनकी व बकरमंडी में गोशाला का संचालन कर रहा है। बकरमंडी में काऊ [illegible] ही रखे जाते हैं। इन गोशालाओं में कुल 5800 गोवंश हैं जिनमें दो हजार गाय हैं। जाजमऊ व पनकी गोशाला में 50 दुधारू के साथ ही 62 ऐसी गाय चिह्नित की गई हैं जिनकी जल्द ही डिलीवरी होने वाली है। इन गायों को कांजी हाउस जाजमऊ भेजने की तैयारी की जा रही है। यहां पर गायों का दूध निकाला जाएगा। दूध की बिक्री नगर निगम खुद करेगा या प्राइवेट दूध डेयरी के जरिए कराएगा, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। उधर गोशाला में एकत्र होने वाले गोबर से खाद बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका प्लांट पनकी में ही लगाया जाएगा। यहां खाद बनाकर बेची जाएगी। दूध व खाद बिक्री से होने वाली आय से गोशालाओं की व्यवस्था की जाएगी।

नगर आयुक्त [illegible] पशु चिकित्साधिकारी को [illegible] दिए हैं कि दुधारू गायों को [illegible] कर जाजमऊ भेजा जाए। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. [illegible] ने बताया कि डेयरी में काम चल रहा है। अगले सप्ताह से डेयरी [illegible] दी जाएगी। गोबर से खाद बनाने का काम अगले माह शुरू [illegible] कंपनी चयन के लिए टेंडर जारी किया गया है।

कोरोना जांच में नगर निगम के 50 कर्मचारी आये निगेटिव

■ कानपुर।

शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में नगर निगम कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर मुख्यालय भवन को सील कर दिया गया था। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के 50 कर्मचारियों की कोरोना जांच करायी गयी थी। जांच रिपोर्ट में सभी कर्मचारी निगेटिव आये हैं।

इन कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट आने तक घरों में भेज दिया गया था। अब गुरुवार से ज्वाइन कराया जायेगा। शुक्रवार को पॉजिटिव पाया गया नगर निगमकर्मी नगर निगम मुख्यालय के स्वास्थ्य विभाग में घूमा था, जिससे संक्रमण का खतरा पैदा हो गया था। इसी वजह से नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमिला निरंजन शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के 50 कर्मचारियों की कोरोना जांच करायी थी। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है। अब गुरुवार से सभी कार्यालय में ज्वाइन कर लेंगे।

केशवपुरम में सफाई कर्मी सम्मानित किये गये

कानपुर (एसएनबी)। ब्राह्मण जागरूकता समिति के तत्वावधान में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम करने में लगे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की गरज से वार्ड 54 विनायकपुर के केशवपुरम में आयोजित एक सादे कार्यक्रम मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सम्मानित किया गया। समिति द्वारा सम्मानित किये गये सफाई कर्मचारियों को साबुन, टूथब्रश, बिस्किट, नमकीन, फल, मास्क तथा सेनेटाइजर भी प्रदान किया गया।

सम्मान समारोह मे समिति के अध्यक्ष अभय दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर के रूप में जुटे हुए हैं। ऐसे वॉरियरों के कार्यों के चलते नगर के विभिन्न इलाकों में साफ-सफाई बनी हुई है। ऐसे योद्धाओं का सम्मान समाज का सम्मान करने के बराबर है। श्री दुबे ने कहा कि यही वजह है कि ऐसे लोगों को सेवा योगदान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य सफाई कर्मचारी दयानन्द मरजानी, संजय हजारिया के टीम के दर्जनभर से ज्यादा सदस्यों को सम्मानित किया। इस मौके पर समिति के आलोक मिश्रा, राहुल, मिश्रा, शैलेन्द्र द्विवेदी, केके त्रिपाठी, रमेश चन्द्र पांडे, सुशील दुबे, आशीष त्रिपाठी, महर्षि मिश्रा, हर्ष त्रिपाठी, अविनाश शुक्ला आदि मौजूद रहे।

पार्षदों ने किया नगर आयुक्त का सम्मान

कानपुर। पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी को सम्मानित करते हुए फूल-मालाएं पहनाईं और बुके भी भेंट किया। पार्षद राघवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि नगर आयुक्त ने कोविड-19 को लेकर जिम्मेदारी सूझबूझ से निभाई। उनका दावा है कि कोरोना के केस कम होने की एक वजह यह भी थी कि इसमें एक-एक मोहल्ले संग इमारतों पर निगरानी रखी जाने लगी। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ पार्षद महेन्द्र उर्फ पप्पू पाण्डेय के अलावा अन्य पार्षदों में नमिता मिश्रा, निर्मल मिश्रा, नीरज बाजपेयी, जितेन्द्र गांधी व पार्षद पति महेंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे।

गंगा किनारे के शहरों में मिला दूसरा स्थान

गंगा किनारे वाले शहरों का हाल

शहर	रैंकिंग
वाराणसी	01
कानपुर	02
मुंगेर	03
प्रयागराज	04
हरिद्वार	05

साढ़े तीन माह में ऑनलाइन जमा हुआ साढ़े तीन करोड़ गृहकर

[illegible] कानपुर। [illegible] में नगर निगम के खाते में 12 [illegible] [illegible] ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल तीन करोड़ रुपये जमा हुए थे। [illegible] [illegible] 2008 से [illegible]

नगर निगम विकसित करेगा ग्रीन बेल्ट

कानपुर। नगर निगम ने 1.20 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष कई ग्रीन बेल्ट विकसित करने का फैसला लिया है। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने मंगलवार को 10 स्थलों का चयन वृक्षारोपण के लिए किया है। उनके मुताबिक श्याम नगर रेलवे लाइन से कोयला नगर चौराहे तक उजड़ गए पौधों को दोबारा विकसित किया जाएगा। वहीं, कूड़ा अड्डा प्रतियोगिता में मंगलवार को बाजी छबीलेपुरवा कूड़ा अड्डा ने मारी। स्वच्छता निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और सफाई नायक परवेज को नगर आयुक्त ने पुरस्कृत किया। कूड़े अड्डे को साफ करके उसमे नगर निगम लिखा गया।

12 शिकायतें आईं, चार लोगों ने बीमारी बताई। केंद्रीय कंट्रोल रूम में मंगलवार को 12 शिकायतें आईं। अब तक 4276 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें से 4239 हल कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर गई तो वह घर ही नहीं मिला। टेली मेडिसिन में चार लोगों ने बीमारी बताकर इलाज पूछा।

अतिमहत्तवपुर्ण अधिकारियों के कार्यालय /आवासीय दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर

क्र0स	अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय	निवास	मोबाइल
1	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	मा0 महापौर	2545766		8601801010
2	सचिव मा0महापौर	गेस्टहाउस	2549680		8601800904
3	डा0 राजशेखर	आयुक्त	2304304	2546100	2525441
4	श्री आलोक तिवारी	जिलाधिकारी	2306577	2304436 2304287	9454417554
5	श्री प्रीतेन्दर सिंह	डी0आई0जी0 / एस0एस0पी0	2532153	2304407	9454400285
6.	श्री एस0के0 सिंह	मुख्य विकास अधिकारी	2535309		9454418877
7	श्री राकेश कुमार सिंह	उपाध्यक्ष के0डी0ए0	2546026	2526477	9956110009
8	श्री एस0 पी0 सिंह	सचिव के0डी0ए0	2541115		9721000037
9	श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त	2541258 2525554	2531215 2531662	8601811111
10	श्री भानु प्रताप सिंह	अपर नगर आयुक्त प्रथम	2543716		8601833333
11	श्री अरविन्द कुमार राय	अपर नगर आयुक्त द्वितीय			8601805555
12	श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त तृतीय			8601814444
13	श्री नीरज गौड़	महाप्रबन्धक जलकल	2548213		9235553815
14	श्री राम बाबू राजपूत	सचिव जलकल			9235553816
15	श्री अशोक त्रिपाठी	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी		2549929	8601844444
16	श्री राम बाबू राजपूत	सचिव जलकल			9235553816
17	श्री कैलाश सिंह	मुख्य अभियन्ता	2549806	2544806	8601800801
18	श्री रमेश कुमार पाल	मुख्य अभि0लाइटिग, आई0टी0			8601800934
19	श्री राजेश गुप्ता	जो0अधि0–1, प्रभारी शिक्षा			8429525803
20	श्री अतुल कृष्ण	जो0अधि0–2, सम्पत्ति,			8601800816
21	श्री राधेश्याम पटेल	जो0अधि0–3,सचिव,जनगणना,परियोजना			8429525878
22	कु0 पूजा त्रिपाठी	जो0 अधि0 4, स्मार्ट सिटी			7081802663
23	श्री स्वर्ण सिंह	जो0 अधि0 5, कार्मिक, विज्ञापन			8948888003
24	श्री विनय प्रताप सिंह	जो0अधि0–6,			8429525824
25	श्री आशीष श्रीवास्तव	पार्किंग, कर अपवंचना सेल			8601800818
26	श्री नीरज पटेल	PRO, भण्डार, विधि, IGRS जनसूचना / शिकायत प्रकोष्ठ,			8429525832
27	श्री अनिल कुमार	सा0प्र0, नकल, केन्द्रीय कर			8429526104
28	श्री अम्बरीश यादव	रबिश,फांगिंग स्वा0–1 व 2			8429525820
29	इसरार अम्बिया अंसारी	मुख्य लेखा परीक्षक			8601800890
30	कर्नल आलोक नारायन	प्रभारी प्रर्वतन			8601800803
31	डा0 अजय संखवार	न0स्व0अ0 स्वा0 3 व 4 एसबीएम			8601800814
32	डा0 चन्द्र शेखर सिंह	न0स्व0 अधि0, नमामि गंगे			8601800908
33	डा0 अमित सिंह	न0स्वा0अधि0 चिकि0 स्वा0.5 व 6			8601816666
34	डा0 अशीष कुमार सिंह	कैटिल,कीडा, वर्कशाप			8756306737

35	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	जोनल अभि0–1 / ट्रैफिक			8601800804
36	श्री एस0के0 सिंह	जोनल अभि0–2			9415732898
37	श्री राजवीर सिंह	जोनल अभि0 3			8601800834
38	श्री पुनीत ओझा	जोनल अभि0–4			8601800848
39	श्री अशोक भाटी	जोनल अभि0–5			8601800833
40	श्री आर0 के सिंह	जोनल अभि0–6			8601800828
41	श्री अकील अहमद	जोनल स्वा0 अधि0 जोन–1			8601801058
42.	श्री मनोज कुमार पाल	जोनल स्वा0 अधि0 जोन–2			8429526065
43	श्री अरबिन्द यादव	जोनल स्वा0 अधि0 जोन–3			8601801075
44.	श्री ओम पाल सिंह	जोनल स्वा0 अधि0 जोन–4			8601801063
45	श्री श्रीराम चौरसिया	जोनल स्वा0 अधि0 जोन–5			8429526042
46	श्री सुरेश यादव	जोनल स्वा0 अधि0 जोन–6			8601801066
47	श्री कृष्ण कुमार	विधि परामर्शी			8601800990
48	श्री वी0के0 सिंह	उद्यान अधीक्षक			8601800899
49	श्री एम0पी0 सिंह	उद्यान अधिकारी			8601800898
50	श्री परवेज खान	जी0आई0एस0,क्वाडिनेटर			8601800882
51	श्री सुनील निगम	केयर टेकर			8429525895
52	नगर निगम कन्ट्रोलरूम	शिकायत प्रकोष्ठ	2526004	2526005	

कानपुर नगर निगम

KANPUR NAGAR NIGAM

Office : 0512-2541258 , 2553254
Complaint : 0512-2526004 , 2526005
E-mail.id : mckanpur@yahoo.com
web site: http//kmc.up.nic.in